रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 1994/कार्तिक 28, 1916
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 1994/KARTIKA 28, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1994

सा. का. नि 566.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रादेशिक उप-निदेशक (कर्मचारी चयन आयोग) भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कर्मचारी चयन आयोग मे उप-निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम कर्मचारी चयन आयोग (उप-निदेशक) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ से स्तम्भ 4 मे विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 मे विनिर्दिष्ट है।

4 नि वह व्यक्ति--

(क) वि ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

2505 GI/94—1

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक	6* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय"	3000-100-3500-125-4500 रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसके न हो सकने पर राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :	लागू नहीं होता	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

12

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या

(ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन का तीन वर्ष का अनुभव है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-धारक पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[सं. 39021/10/89-स्था. बी]
य.गो. पराडे, निदेशक (ई).

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 20th October, 1994

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Deputy Regional Director (Staff Selection Commission) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Staff Selection Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Staff Selection Commission (Deputy Director) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or cotracted a morriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are ither grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to ony class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director	6* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	"General Central Service Group 'A' Gazetted non-Ministerial"	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Not applicable	Not applicable

Whether benefits of added years of service under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 admissible	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/deputation/-transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation : Officers of the Cenral Government failing which officers of the state Government : (a)(i) holding analogous posts on a regular basis, OR (ii) with five years regular service in the scale of Rs. 2200—4050; OR equivalent; or (iii) with eight years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing at least three years experience in administration in a supervisory capacity. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or tome other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years, The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.)	Not applicable	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on transfer on deputation.

[No.39021/10/89-Estt.B]

Y.G. PARANDE, Director(E)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1994

सं. 1/94-अफीम

सा.का.नि. 567.—केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 5 के अनुसरण में नीचे सारणी मे विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के उन भू-भागो को ऐसे भू-भागों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनके भीतर 1 अक्तूबर 1994 को प्रारम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 1995 को समाप्त होने वाले अफीम वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के लिए पोस्त की खेती की जा सकेगी।

सारणी

भू-भागों का नामाभिधान

जिले का नाम	विस्तार
	तहसील/परगना
भाग 1—मध्य प्रदेश राज्य	
1. मंदसौर	नीमच, मंदसौर, मनसा, भानपुरा जावड़, मल्हारगढ़, सीतामऊ और गरोठ।
2. रतलाम	रतलाम, सैलाना, जोरा और अलोट
3. झाबुआ	पेटलावाड
4. उज्जैन	खचरोड़ और माहिदपुर
5. राजगढ	जीरापुर
6. शाजापुर	मुसनेर, आगार और बरोड
7. ग्वालियर	ग्वालियर
भाग 2—राजस्थान	
1. कोटा	रामगजमडी, सगोद, लाडपुरा
2. बरान	बरान, छाबरा, छिपाबरोड़, अंतरू
3. झालवाड़	झालारपाटन, खानपुर अकलेरा, पाच पहाड़, पिरावा और गंगधार
4. चित्तोड़गढ	चित्तोड़गढ, भडेसर, डूंगला, बेगुन, निबाहेरा, छोटी सदरी बड़ी सदरी प्रतापगढ, अरनोद, गंगरार, कापासाम और रशमी।
5. उदयपुर	बल्लभ नगर, मावीली, धारियावाड, और उदयपुर (राजस्थान कृषि महाविद्यालय का अनुसंधान केन्द्र)
6. भीलवाड़ा	मंडलगढ़ कोटरी और जहाजपुर
7. बांसवाडा	घाटोल (चित्तोड़गढ़ जिले की प्रताप गढ़ तहसील का सीमावर्ती केवल सेंमलिया ग्राम)
भाग 3—उत्तर प्रदेश राज्य	
1. फैजाबाद	मागालसी (तहसील फैजाबाद) खानदासा रथ और आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, कुमारगंज (तहसील बीकापुर)
2. माऊ	नाथपुर और धोसी (तहसील धोसी)
3. गाजीपुर	जमानिया (तहसील जमानिया)
4. बाराबंकी	सूरजपुर, दोली, मावई, बसौधी और दरियाबाद (तहसील राम स्नेही घाट) प्रतापगंज सतारिख नवाब गंज और देवा (तहसील नवाबगंज) बद्दो सराय, फनहपुर, हैदरगढ़ रामनगर और कुर्सी (तहसील फतहपुर) सिदौर और सुबेहा (तहसील हैदरगढ़)।
5. लखनऊ	मोहनलाल गज, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान उद्यान और सेंट्रल इंस्टीट्यूट आंफ मैडिसिनल एण्ड एरोमेरिक प्लाट, लखनऊ (तहसील मोहनलाल गंज)।
6. रायबरेली	कुम्हरावन (तहसील महाराजगंज)
7. शाहजहांपुर	जलालाबाद और कान्ठ (तहसील जलालाबाद) तिलहर कटरा और खेड़ाबमेरा (तहसील तिलहर)
8. बरेली	बरेली, सिरौली (उत्तर) (तहसील बरेली) सण्हा, ओनला सिरौली (दक्षिण) और बलिया (तहसील ओनला) फरीदपुर (तहसील फरीदपुर) ईसापुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का फार्म।
9. बदायूं	बदायूं और उझानी (तहसील बदायूं) सैलमपुर उसेट (तहसील दाता गंज) सतासी बिसौली और इस्लामनगर (तहसील बिसौली) सहसवान और कोट (तहसील सहसवान)।

[सं 1/94/फा.सं. 616/1/94-अफीम]

एस. कुमार अवर, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st November, 1994

No. 1/94-OPIUM

G.S.R. 567.—In pursuance of rule 5 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the tracts in the states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Praderh specified in the Table below as the tracts within which poppy may be cultivated on account of the Central Government during the opium years commencing on the 1st day of October, 1994 and ending with the 30th day of September, 1995.

TABLE

DESIGNATION OF TRACTS

Name of the District	Extent	
	Tehsil	Pargana
1	2	3
	PART I— STATE OF MADHYA PRADESH	
1. Mandsaur	Neemuch, Mandsaur, Mansa, Bhanpura, Jawad, Malhargarh, Sitamau and Garoth.	
2. Ratlam	Ratlam, Saliana, Jaora and Alote.	
3. Jhabua	Petlawad.	
4. Ujjain	Khachrod and Mahidpur.	
5. Rajgarh	Jeerapur.	
6. Shajapur	Susner, Agar and Barod.	
7. Gwalior	Gwalior.	
	PART II—STATE OF RAJASTHAN	
1. Kota	Ramaganjmandi, Sangod, Ladpura.	
2. Baran	Baran, Chhabra, Chhipabarod, Atru.	
3. Jhalawar	Jhalarapatan, Khanpur, Aklera, Pachpahar, Pirawa and Gangdhar.	
4. Chittorgarh	Chittorgarh, Bhadesar, Doongla, Begun, Nimbanhera, Chhotisadri, Badisadri, Partabgarh, Arnod, Gangrar, Kapasan and Rashmi.	
5. Udaipur	Vallabhnagar, Mavili, Dhariawad and Udaipur (Research Station of Rajasthan College of Agriculture).	
6. Bhilwara	Mandalgarh, Kotri and Jahajpur.	
7. Banswara	Ghatol (only Semlia village bordering Tehsil Pratabgarh of District Chittorgarh).	
	PART III—STATE OF UTTAR PRADESH	
1. Faizabad	Magalsi (Teh. Faizabad), Khandasa, Rath and Acharya Narendradeo University, Kumarganj (Teh. Bikapur).	
2. Mau	Nathpur and Ghosi (Tehsil Ghosi).	
3. Ghazipur	Zamania (Teh. Zamania).	
4. Barabanki	Surjapur, Rudauli, Nawai Basaudhi and Dariyabad (Teh. Ram Sanehi Ghat), Pratapganj, Satrikh, Nawabganj and Dewa (Teh. Nawabganj), Baddoosarai, Fatehpur, Haidargarh, Ram Nagar and Kurshi (Teh. Fatehpur), Sidhaur and Subeha (Teh. Haidargarh).	

5. Lucknow	Mohanlalganj, National Botanical Research and Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant, Lucknow (Teh. Mohanlalganj).
6. Rai Bareilly	Kumhrawan (Teh. Maharajganj).
7. Shahjahanpur	Jalalabad and Kanth (Teh. Jalalabad), Tihar, Katra and Khera-Bajhera (Tehsil Tilhar).
8. Bareilly	Bareilly, Sirauli (North) (Teh. Bareilly), Sancha, Aonla, Sirauli (South) and Ballia (Teh. Aonla), Faridpur (Teh. Faridpur), Isapur Farm of I.C.A.R., New Delhi.
9. Badaun	Badaun and Ujhani (Teh. Badaun), Salempur, Usait (Teh. Dataganj), Satasi, Bisauli and Islamnagar (Teh. Bisauli), Sahaswan and Kot (Teh. Sahaswan).

[No. 1/94-F. No. 616/1/94-Opium]
S. KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1994

सा.का.नि 568.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) परिवार कल्याण विभाग, लेखाकार/बजट सहायक भर्ती नियम, 1983 (ii) स्वास्थ्य विभाग (बजट सहायक) भर्ती नियम, 1984 (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन बोर्ड) लेखाकार भर्ती नियम, 1985 और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेखाकार (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में लेखाकार/बजट सहायक के समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेखाकार/बजट सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के जो स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8 व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
लेखाकार/बजट सहायक	10* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह-ख अराजपत्रित अननुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती कि जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : अं. (क) (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, या (ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में शोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है और जिनके पास शोकड़, लेखा और बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव है; जिसके न हो सकने पर आ. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

12

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या

(ii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 1200-2040 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कार्य 10 वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है ।

या

केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगा) ।

[सं० ए०-12018/1/93-स्था. I]

सी. एल. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th October, 1994

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Department of Family Welfare, Accountant/Budget Assistant Recruitment Rules, 1983 (ii) Department of Health (Budget Assistant) Recruitment Rules, 1984 (iii) Ministry of Health and Family Welfare (National Leprosy Eradication Board) Accountant Recruitment Rules, 1985 and (iv) Ministry of Health and Family Welfare, Accountant (Central Health Services) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to owns before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Accountants/Budget Assistant in the Ministry of Health and Family Welfare, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Accountants/Budget Assistant (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post,, age limit, qualifications and other matters delating to the soid post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that thede are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to ony class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruit
1	2	3	4	5	6
Accountant/Budget Assistant	10* (1994) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Services (Group 'B') Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible, under rule 30 of the Central Civil services Pension Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age or educational qualifications prescribed for direct recruits, will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, Grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its compotion	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on Deputation .	Not applicable.	Consultation with UPSC not necessary.
A. (a) (i) Assistants of CCS holding the posts on regular basis;		
OR		
(ii) UDC's of CSC's with 10 years Regular service in the grade; AND		
(b) Who have undergone training in Cash and accounts work in the ISTM or equivalent, and possess three years experience of cash., accounts and budget work; failing which		
B. Officers under the Central Govt.		
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) with five year's regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400-2300/-2600 or equivalent; OR.		
(iii) with 10 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 1200-2040 or equivalent; AND		

(b) Who have undergone trianing in cash and Accounts work in the ISTM or equivalent and possess three year's experience of cash, accounts and budget work.

OR

A pass in the SSAS or equivalent examination conducted by any of the organised accounts department of the Central Government.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

[F.No. A-12018/1/93-Estt. -I]
C.L. BHATIA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1994

सा का.नि. 569.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता में समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है ।

5 निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7 व्यावृत्ति . इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
6 प्रशासनिक अधिकारी-सह-सुरक्षा/संपदा प्रबंधक	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	2375-75-3200-द. रो.-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य, सुरक्षा तथा संपदा प्रबंध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
2 निजी सचिव	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रा.-75-3200-100-3500 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (2) जिन्होंने 2000-3200 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या (3) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिसके पास आशुलिपि (हिन्दी या अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य फाडर वाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
8. अधीक्षक	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित	1640-60-2600-द.रा.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

	12
	(2) जिन्होंने 1400-2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास प्रशासन/सम्थापन और लेखा कार्य का दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 9/1/94-एफ. एफ.टी.आई]
पी. गोपालन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th October, 1994

G.S.R. 569.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Satyajit Ray Film and Television Institute, Calcutta namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Satyajit Ray Film and Television Institute, Calcutta, (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay etc.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or cotracted a morriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Administrative officer-cum-Security/Estate Manager.	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500	Not applicable	Not applicable

Whether benefits of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion only deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
No.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation

In case of recrt. by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Transfer on deputation : Officers of the Central Government.— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or. (ii) with two year's regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent' or (iii) with five year's regular service in post in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and (b) possessing three year's experience in administration, establishment and accounts work security and estate management work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years' the maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)	Not applicable.	Consultation with UPSC not necessary.

1	2	3	4	5	6
2. Private Secretary.	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Not applicable.	Not applicable.

7	8	9	10	11
No	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation

12	13	14
Transfer on deputation : Officers of the Central Government,— (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or. (ii) with two year's regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3200 or equivalent or (iii) with three year's regular service posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent and (b) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (Hindi or English). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department	Not applicable.	Consultation with UPSC not necessary.

12					
of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing dae of the receipt of applications.					
1	2	3	4	5	6
3. Superintendent	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable.	Not applicable.
7	8	9	10	11	
No	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	
11		13		14	
Transfer on deputation : Officers of the Central Government, (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five year's regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2100 or Rs. 1400 2600 equivalent; and (b) possessing two year's experience in administration/establishment and accounts work. (Period of deputation including period of deputation in another-ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three year's. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).		Not applicable.		Consultation with UPSC not necessary.	

[File. No. 9/1/94-F(FTI)]
P. GOPALAN, Desk Officer

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1994

सा. का. नि. 570 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर और ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर और ग्राम नियोजन संगठन (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद के लिए आयु-सीमा, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राइवर	4* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द. रो. रो-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती सकती है। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (रोजगार-कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) मोटर कार चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । (2) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को सुधारने के योग्य होना चाहिए) । (3) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, । वांछनीय :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर प्रमाणपत्र (ii) होम गार्ड/सिविल वालेनटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा । टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में नव शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन/स्थानातरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	नगर और ग्राम नियोजन संगठन के ऐसे नियमित समूह "घ" कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा जिनके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर प्राप्त मोटर कार की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के ऐसे पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए हैं या नियमित समूह 'घ' कर्मचारी हैं तथा जो स्तंभ 8 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं ।

12
पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल में निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (पुष्टि के लिए) 1. अपर मुख्य योजनाकार —अध्यक्ष 2. आर्थिक योजनाकार/औद्योगिक योजनाकार —सदस्य 3. ज्येष्ठ समाज विज्ञानी —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए. 12034/2/93-टीसीपीओ/ प्रशा. IV/यूडी-I]

एम. राम जोगेश, डैस्क अधिकारी / यूडी—1

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st November, 1994

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in Town and Country Planning Organisation, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Town and Country Planning Organisation (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The age limit, qualifications, method of recruitment and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver	4* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Civil Service Group 'C' Non-Gazetted Non-ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services Pension Rules 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other quallfications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable.	18—25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (Other than) those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep (In the case of recruitment made through the employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names).	Essential : (i) Valid driving licence for motor car; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) Experience of driving motorcar for at least 3 years. Desirable : (i) The 8th standard certificate from a recognised school. (ii) 3 years service as Home Guard/Civil Volunteer. Note : The qualifications regarding experience is relaxable at discretion of the competent authoriiy in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
2 years	Transfer on deputation/re-employment/ transfer failing which by direct recruitment.	Transfer on Deputation/transfer from amongst the regular Group 'D' employees in the Town and Country Planning Organisation who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from amongst officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'D' employees in other Ministries/Departments of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in Column 8. For Ex-Servicemen : Transfer on Deputation/remploy-ment : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to rererve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : (For confirmation) 1. Additional Chief Planner—Chairman 2. Economic Planner/Industrial Planner —Member 3. Senior Social Scientist —Member 4. Administrative Officer —Member	Not applicable

[No. A-12034/2/93-TCPO/Admn. IV/UD.I]

M. RAM JOGESH, Desk Officer/U.D.I

1	2	3	4	5	6	7
2. आशुलिपिक श्रेणी-3	415* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचित अनसचिवीय	1200-30-1560-द.रो - 40-2010	लागू नही होता	नही	18–25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

8	9	10
(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) मे 80 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नही होता	दो वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी :—पदधारियो के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियां मे एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियो में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तम्भ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित अर्हताएं है।	लागू नही होता

13	14
लागू नही होता	लागू नहीं होता

[सं. 5/42/92-ई सी-4 (सी.)]

ललिता दास, डैस्क अधिकारी

(Works Division)

New Delhi, the 1st November, 1994

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Stenographers (Senior Grade) Recruitment Rules, 1978 and the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Stenographers (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the Subordinate Offices of the Central Public Works Department, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Stenographers Grade II and Grade III Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 571.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम, 1978 और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 1972 को उनके बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी 2 और आशुलिपिक श्रेणी 3 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक श्रेणी 2 और श्रेणी 3 भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान, वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करन की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. आशुलिपिक श्रेणी 2	91* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18–25 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अ. प्रोन्नति : 1200–2040 रु. के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3 में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। ब. प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने 1200–2040 रु. के वेतनमान मे पाच वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास आशुलिपिक (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. क्षेत्र का अधीक्षण इंजीनियर समन्वय (सिविल)—अध्यक्ष 2. उसी केन्द्र/क्षेत्र से अधीक्षण इंजीनियर—सदस्य 3. एक कार्यपालक इंजीनियर या अधीक्षण इंजीनियर—सदस्य 4. एक कार्यपालक इंजीनियर या अधीक्षण इंजीनियर—सदस्य।	लागू नही होता

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Stenographer Grade II	91* (1994) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group (C) Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Not Applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promottees	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
18—25 years	Matriculation or equivalent with a minimum speed of 100 words per minute in Stenography (English or Hindi).	No	2 years for direct recruits	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.

In case of Recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
A. Promotion : Stenographers Grade III in the scale of Rs. 1200-2040 with 5 years' regular service in the grade. B. Transfer on deputation :— (a) Officers of the Central Government :— (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs. 1200—2040 and (b) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (English/Hindi) Period of deputation including the period of deputations in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Superintending Engineer Coordination (Civil) of the Region—Chairman. 2. A Superintending Engineer from the same station/region—Member. 3. One Executive Engineer or Superintending Engineer—Member 4. One Executive Engineer or Superintending Engineer—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
2. Stenographer Grade, III	415 *(1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Centraj Service Group (C) Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	No

7	8	9	10
18—25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :— The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Speed of 80 words per minute in stenography (English or Hindi).	Not Applicable.	Two years

11	12	13	14
Direct Recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable
Note :—Vacancies caused by incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for Direct Recruits at Column 8.			

[No. 5/42/92-EC.IV (C)]

LALITA DAS, Desk Officer

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

CORRIGENDA

New Delhi, the 27th October, 1994

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 572.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) No. G.S.R. 131 dated 15th February, 1991 published at page 491 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 2nd March, 1991,—

At page 491, in clause 1, Sub-clause (2), in item (f), in the table, in line 2, for "44. Bedi-Surveyor-in-charge" read "44. Krishnapatnam".

[F. No. SR-11013/1/94-MA]

O. P. MAHEY, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1994

सा. का. नि. 573.—रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा रेलवे सुरक्षा बल (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 [जहां तक कि यह महानिदेशक (रेलवे सुरक्षा बल) तथा निदेशक, सुरक्षा के पदों को छोड़कर इसके साथ संलग्न अनुसूची मे उल्लिखित पदों पर लागू है] में आंशिक अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण से पहले कृत्याकृत्य को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेलवे सुरक्षा बल मे समूह "क" के पदों की भर्ती की विधि विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— ये नियम रेलवे सुरक्षा बल [उप महानिदेशक के समूह "क" पद (रेलवे सुरक्षा बल), उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त/वरि. सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त] भर्ती नियम, 1994 कहलाएंगे।

2. प्रयोग्यता :—ये नियम इसके साथ अनुबंधित अनुसूची (1) मे यथा विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 मे विनिर्दिष्ट है।

5. अयोग्यताएं :—

(क) जिसकी किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने को संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति का विवाह तथा दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय मे ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणो को लिखित रूप मे दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमो के किसी उपबंध से किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों को छूट देने का आदेश दे सकती है।

7 व्यावृत्ति :– इस संबंध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष कोटियो के व्यक्तियो के लिए अपेक्षित आरक्षणो, आयु सीमा मे छूट तथा अन्य रियायतो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियमों के अन्तर्गत सेवा के वर्ष में वृद्धि का लाभ अनुमेय है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिए आरक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. उप महा निरीक्षक रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल	*8 (1994) *कार्यभार के पर आधार परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	5100-150-5400-150-6150 रु.	प्रवरण	लागू नही होता	लागू नही होना	लागू नहीं होना

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियो से भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होती हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
9	10	11	12
लागू नही होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	पदोन्नति उप सुरक्षा आयुक्त/वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त (4100–5300 रु.) जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भा. पु. से. या केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठनो के अधिकारी (1) जो नियमित आधार पर

12
समतुल्य पदों को धारण किए हों। (ii) अधिकारी जो उप महानिरीक्षक पुलिस के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं। फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति होने वाला अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति से पहले किसी अन्य काडर बाह्य संवर्ग पद पर जिसमें प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यत 5 वर्ष से अधिक को नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के बाद नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा (अल्पावधि संविदा सहित) आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट :—पद को पदावधि के रूप में तब माना जाएगा जब यह पद राज सेवा अधिकारियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।
13	14
निम्नलिखित की पदोन्नति के लिए समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति :— (1) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड —अध्यक्ष (2) वित्त आयुक्त (रेलें) —सदस्य (3) रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य —सदस्य	इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करते समय उन में छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2. उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	25* (1994) *कार्यभार में परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	4100-125-4850-150-5300 रु.	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12
लागू नही होता	लागू नही होता	पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	पदोन्नति द्वारा सुरक्षा आपक्त (3000—4500 रु) उप ग्रेड मे 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय/राज्य पुलिस सगठनो के अधिकारी (1) जो (4100—5300 रु) के वेतनमान मे समतुल्य पद धारित हो अथवा (2) (3700—5300 रु०) के वेतनमान मे अथवा इसके समतुल्य पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित, अथवा (3) (3000—4500 रु० के वेतनमान मे अथवा इसके समतुल्य पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित । (4) अधिकारी जो उप महानिरीक्षक पुलिस के रूप मे नियुक्ति के पात्र है, फीडर श्रेणी मे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन मे है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नही होगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति होने वाला अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नही होगा । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमे केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य सगठन /विभाग मे नियुक्ति से पहले किसी अन्य वाह्य सवर्ग पद पर जिसमे प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यत 4 वर्ष से अधिक की नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के बाद नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा (अल्प विधि सविधा सहित) आवेदन की प्राप्ति की अतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी । नोट —पद को पदावधि के रूप मे तब माना जाएगा जब यह पद राज सेवा अधिकारियो द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा ।

13	14
– समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए निम्नलिखित शामिल होगे – (1) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड —अध्यक्ष (2) वित्तायुक्त (रेले) —सदस्य (3) रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य —सदस्य	इन नियमो के किसी भी उपबध मे सशोधन करते समय अथवा छूट देते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
3. सुरक्षा आयुक्त	75* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित	3000-100-3500-125-4500 रुपये	गैर प्रवरण	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

9	10	11	12
लागू नही होता	लागू नही होता	पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पदोन्नति : रेल सुरक्षा बल/रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के सहायक सुरक्षा आयुक्त जिनकी इस ग्रेड मे 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय/राज्य पुलिस सगठनों के अधिकारी। (1) 3000–4500 रुपये अथवा उसके समकक्ष वेतनमान के पद धारी अथवा (2) 2200–4000 रु. अथवा समकक्ष ग्रेड मे 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी। फीडर कोटि के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी भर्ती की लाइन मे हो, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग मे नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि के ठेके सहित) पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी। नोट : जब इस पद पर राज सेवा के अधिकारी कार्यरत होंगे तब यह पद पदावधि पद माना जाएगा।

13	14
समूह "क" पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति : (1) अध्यक्ष/सदस्य, रेलवे बोर्ड – अध्यक्ष (2) महानिदेशक/महानिरीक्षक, रेल सुरक्षा बल – सदस्य (3) सलाहकार प्रबंध सेवाएं अथवा प्रबंधक सेवा निदेशालय के कार्यपालक निदेशक – सदस्य	इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करते समय/उनमें छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

भ

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक आयुक्त	170* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित	2200-75-2800 प्रवरण दरो-100-4000 रु० नोट : यह वेतनमान रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. पीसी 4/86/आर एस आर पी/1 दि. 14-3-1987 के अनुसार 1 जनवरी, 1986 से लागू हुआ		जिस वर्ष परीक्षा होनी है, उस साल 1 अगस्त को आयु 21 वर्ष तथा 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और ऐसी अन्य कोटियों जिनमें सरकार द्वारा समय-समय संशोधन किया गया हो, उस हद तक और उन शर्तों के अध्यधीन छूट दी जा सकती है जो इस संबंध में प्रत्येक कोटि के लिए अधिसूचित की गई हों।	नहीं	भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय माने घोषित किए गए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता।

9	10	11	12
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां, हालांकि जो अधिकारी नियमित आधार पर फीडर ग्रेड पद को धारित किए हुए हैं तथा जिनके पास डिग्री की आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं, वे अधिकारी 1 जुलाई, 94 तक पदोन्नति के लिए विचार किए जाएंगे।	2 वर्ष* *सीधी भर्ती वाले तथा प्रोमाटिज तथा पुर्नियुक्ति के आधार पर नियुक्त अधिकारी	(1) 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। (2) 50 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती। (3) 10 प्रतिशत सशस्त्र बल कर्मचारियों की पुर्नभर्ती द्वारा, इनके न मिलने पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति : निरीक्षक ग्रेड – 1 वेतनमान 2000-3200 रु. में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित, ऐसा न होने पर निरीक्षक ग्रेड–1 की 7 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा सहित निरीक्षक ग्रेड–1 2000–3200 रु. के वेतनमान में अथवा निरीक्षक ग्रेड–2 (1640–2900 रु०) वेतनमान में कम से कम 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित निरीक्षक ग्रेड–1 का पद सशस्त्र बल कर्मचारियों की पुर्न नियुक्ति सेवा निवृत्त कैप्टन और उससे ऊपर के ओहदे वाले विनिर्मुक्त सशस्त बल कर्मी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा समतुल्य की डिग्री रखते हों, पात्र होंगे।

अ

13	14
समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचार हेतु (1) अध्यक्ष/सदस्य संलोसेआ – अध्यक्ष (2) महानिदेशक /रेल सुरक्षा बल अथवा महानिरीक्षक रेल सुरक्षा बल – सदस्य (3) सलाहकार सेवाओं के निदेशालय का सलाहकार अथवा कार्यपालक निदेशक – सदस्य नोट : सीधी भर्ती से संबंधित नियमन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई आयोग को संस्तुति के लिए भेजी जाएगी यदि यह आयोग द्वारा संस्तुत नहीं की जाती है तो संलोसेआ के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की दोबारा बैठक बुलाई जाएगी।	प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[सं. 91ई (जी आर)-1/22/1]

एस. ए. ए. जैदी, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 31st October, 1994

G.S.R. 573.—In exercise of the powers conferded by Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957), and in partial supersession of the Railway Protection Force (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1981 (in so far as it is applicable to the post mentioned in the Schedule annexed thereto excluding the posts of Inspector General (Railway Protection Force) and Director, Security except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Railway Protection Force, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Railway Protection Force [Group 'A' posts of Deputy Inspector General (Railway Protection Force), Deputy Chief Security Commissioner/Senior Security Commissioner, Security Commissioner and Assistant Security Commissioner] Recruitment Rules, 1994.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Disqaulification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Dy. Inspector General Railway Protection Force/Railway Protection Special Force.	8* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Cenral Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 5100-150-5400-150 6150

Whether selection or non-selection post	Age for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotion.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Not applicable	By pro motion failing which by transfer on deputation

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Deputy Chief Security Commissioner/ Senior Security Commissioner (Rs. 4100-5300) with five years, regular service in the grade Transfer on deputation : Officers of Indian Police Service or Central/State Police Organisations : (i) holding analogous posts on regular basis OR (ii) Officers who are eligible for appointment as Deputy Inspector General of Police. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for Considration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for a appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be, not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note.—The post will be treated as tenure post when held by state Service officers.	Group 'A' DPC for promotion consisting of : 1. Chairman Railway Board —Chairman. 2. Financial Commissioner (Railways)—Member. 3. Any other Member of the Railway Board—Member.	Consultation with the UPSC necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

1	2	3	4
2. Dy. Chief Security Commissioner/Senior Security Commissioner.	25* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 4100-125-4850-150-5300

5	6	7	8
Selection	Not applicable.	Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by transfer on deputation

12	13	14
Promotion : Security Commissioner (Rs. 3000—4500) with eight years regular service in the grade. Tranrfer on deputation : Officers of Indian Police Service or Central/State Police. Organisations : (i) holding analogous posts in the scale of Rs. 4100—5300 or equivalent; or (ii) with three years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700—5300 or equivalent; or (iii) with eight years regular service in the grade of Rs. 3000-4500 or equivalent; The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 (four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall be, not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.) Note.—The posts will be treated as tenure post, when held by State Service officers.	Group A : DPC for promotion consisting of : 1. Chairman Railway Board —Chairman. 2. Financial Commissioner (Railways)—Member. 3. Any other Member of the Railway Board—Member.	Consultation with the UPSC necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

1	2	3	4
3. Security Commissioner	75* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 3000-100-3500-125-4500

5	6	7	8
Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion failing which by transfer on deputation

12	13	14
Promotion : Assistant Security Commissioner/Railway Protection Force/Railway Protection Security Force with five years regular service in the grade Transfer on deputation : Officers of Indian Police Service or Central/State Police Organisations : (i) holding posts in the pay scale of Rs. 3000—4500 or equivalent; or (ii) with five years regular service in the grade of Rs. 2200—4000 or equivalent. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion . (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation/ (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding fifty six years. as on the closing date of receipt of applications). Note.—The post will be treated as tenure., post, when held by State Service Officers.	Group 'A' DPC for promotion : 1. Chairman/Member, Railway Board. —Chairman 2. Director General/Inspector General, Railway Protection Force—Member. 3. Adviser Management services. or executive Director of Management Services Directorate—Member.	Consultation with UPSC necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules,

1	2	3	4
4. Asstt. Security Commissioner	*170 (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 Note.—The scales of pay came into force on the 1st day of January 1986 in accordance with Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification No. PC-IV/86/RSRP/1 dt. 14-3-1987.

5	6	7	8
Selection	21–28 years as on 1st August of the year of Examination provided that the upper age limit may be relaxed in respect of candidate belonging to the Scheduled castes and the scheduled Tribes and such other categories of persons as may from time to time notified in this behalf by the Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category	No.	A degree of any of the Universities established or incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutions established by an act of Parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or an equivalent qualification.

9	10	11
Age: No. EQ: Yes. However the Officers who are holding the feeder grade post on regular basis and who do not possess requisite qualifications of degree will be considered for promotion till 1st July, 1996	Two years for direct recruits and promotees and officers appointed on re-employment basis.	(i) 40% by promotion. (ii) 50% by direct recruitment through the Civil services examination conducted by the UPSC. (iii) 10% by re-employment of Armed Forces Personnel failing which by promotion.

12	13	14
Promotion : Inspectors Grade I (Pay scale Rs. 2000-3200) with five years regular service in the grade failing which Inspectors Grade I with seven years combined regular service as Inspector Grade-I (Rs. 2000-3200) and Inspector Grade-II (Rs. 1640-2900) with a minimum of two years regular service as Inspector Grade-I	Group 'A' DPC for considering promotion : 1. Chairman/Member UPSC-Chairman 2. Director General/Railway Protection force or Inspector General/Railway protection Force—Member. 3. Adviser or Executive Director of Management Services Directorate —Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

12	13
Re-employment for Armed Forces Personnel:Retired/released Armed forces. Personnel of the rank of Captain and above and possessing a degree from a recognised University or equivalent are eligible.	Note.—The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however these are not aproved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

[No. 91E (GR)/22/11]

S.A.A. ZAIDI, Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1994

सा. का. नि. 574.—रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेल सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1994 के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 (इसके बाद इन्हे उक्त नियमों के रूप में जाना जाएगा) के नियम 47 में :—

(क) खंड (क) में "ऊंचाई – 170 सें. मी." शब्दों, आंकड़ों तथा अक्षरों के स्थान पर "ऊंचाई–165 सें. मी." शब्द, आकड़ें तथा अक्षर रखे जाएं,

(ख) पहला परन्तुक निकाल दिया जाएगा,

(ग) दूसरे परन्तुक में "बशर्ते आगे" शब्दों को "बशर्ते" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. "उक्त नियमों के नियम 48 में :—

(क) उप नियम 1 के खंड (i) आकड़ें और शब्द "23 वर्ष" की आंकड़े तथा "25 वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप नियम 1 के बाद निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा अर्थात :—

"1क अभियोजन शाखा में निरीक्षक ग्रेड – II के तथा उप निरीक्षक पदो की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट होगी।"

उक्त नियमों की अनुसूची IV में शीर्षक उप निरीक्षक (अग्नि) के साथ कालम में "अधिसूचना की तारीख को 20 तथा 23 वर्ष के बीच (नियम 48 देखें) शब्दों तथा आंकड़ों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अधिसूचना की तारीख को 20 तथा 25 वर्ष के बीच (नियम 48 देखें सं. 94/सिक (स्पे.)/6/1

[सं. 94/एस ई सी (एस पी एल) 6/11]

जी. के. खरे, सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड तथा पदेन सचिव

नोट :— मूल नियम, दि. 3-12-1987 सं. 951 (ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात दि. 24-07-92 के सा. का. नि. सं. 374 द्वारा संशोधित किए गए थे।

Railway Board)

New Delhi, the 7th November, 1994

G.S.R. 574.—In exercise of the powers conferded by section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, namely :—

1 (1) These rules may be called the Railway Protection Force Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 47 of the Railway Protection Force Rules, 1987 hereinafter referred to as the sai drules),—

(a) in clause (a), for the words, figures and letters "Height-170 cms", the words, figures and letters "Height-165 cms." shall be substituted;

(b) the first proviso shall be omitted;

(c) in the second proviso, for the words "Provided further", the word "Provided" shall be substituted.

3. In rule 48 of the said rules,—

(a) in sub-rule 1, in clause (i), for the figures and word "23 years", the figures and words "25 years" shall be substituted;

(b) after sub-rule 1, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"1A For the direct recruitment to the posts of Sub-Inspectors and Inspectors Grade-II in Prosecution Branch, the age limit and educational qualifications shall be as specified in Schedule IV".

4. In Schedule IV to the said rules, in the column with heading Sub-Inspector (Fire), for the words and figures "Between 20 and 23 years on the date of notification (see rule 48)", the following shall be substituted, namely :—

"Between 20 and 25 years on the date of Notification (See Rule 48)".

[No. 94/Sec(Spl)|6|1]

G. K. KHARE, Member (Staff), Railway Board, and Ex-Officio Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR No. 951(E) dated 3-12-1987 and amended subsequently vide GSR No 74 dated 24-7-92.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1994

सा.का.नि. 575.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1993 बनाने के लिए निम्नलिखित मसौदे का प्रस्ताव करती है तथा उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करती है तथा नोटिस देती है कि उक्त परिशोधित नियमों पर इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने से पैंतालीस दिन के बाद विचार किया जाएगा।

2. उक्त परिशोधित नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से यथा-विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आपत्तियां तथा सुझाव श्री जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजे जाएं।

मसौदा नियम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) मसौदा नियम

प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली, 1993 है।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "लेखा अधिकारी" से अभिप्रेत है वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या अन्य ऐसा अधिकारी जिसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34);

(ग) "निगम" से अभिप्रेत है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

(घ) "परिलब्धियों" से अभिप्रेत है मूल नियमों में यथा-परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान और इसमें वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान के अनुरूप महंगाई वेतन यदि स्वीकार्य हो और प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई अन्य पारिश्रमिक भी शामिल है।

(ङ) "कर्मचारी" से अभिप्राय है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त निगम द्वारा नियुक्त किया गया या निगम के स्टाफ के संवर्ग का कोई व्यक्ति;

(च) "कुटुंब" से अभिप्रेत है —

पुरुष अभिदाता की दशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और सन्तानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं है वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही।

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, रूढ़ीजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार नहीं रह गई है तो उसे, तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में जाना जाता रहेगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुंब की सदस्य नहीं रह गई है।

2. स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता-पिता, सन्तानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संन्तानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही। परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुंब से अपने पति को अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुंब का सदस्य नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण इस खंड में संतान में अभिप्रेत धर्मज सन्तान है और जहां अभिदाता पर लागू स्वीय विधि दत्तक पुत्र ग्रहण को मान्यता देती है वहां इसमें दत्तक संतान भी शामिल है;

"निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि अभिप्रेत है; छुट्टी से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी छुट्टी अभिप्रेत है;
"सेवा" से निगम के अधीन सेवा अभिप्रेत है,

"वर्ष" से वित्त वर्ष अभिप्रेत है।

इन नियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का, जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या मूल नियम में परिभाषित है, उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में वह उसमें परिभाषित है परन्तु इसमें परिभाषित न की गई अभिव्यक्ति का अर्थ क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द तथा

सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 या यथास्थिति मूल नियमों में यथा-परिभाषित होगा ।

3. इन नियमों की कोई बात इस प्रकार से प्रभावी नहीं समझी जाएगी जिससे कि इससे पूर्व विद्यमान भविष्य निधि की विद्यमानता समाप्त होती है या कोई नई निधि गठित होती है।

3. निधि का गठन—

(1) निधि रुपयों में रखी जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में अदा की गई सभी राशियां "कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि"—नामक निधि में जमा की जाएगी। ऐसी राशियां जिनकी अदायगी इन नियमों के अधीन उनके देय हो जाने के पश्चात् छ मास के भीतर प्राप्त नहीं कर ली गई है, वर्ष के अंत में जमा लेखा को अन्तरित कर दी जाएंगी और उनके संबंध में कार्रवाई जमा राशियों से संबंधित सामान्य नियमों के अधीन की जाएगी।

4. लेखा अधिकारी द्वारा निधि का संचालन :

निधि का संचालन लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इसके द्वारा इन नियमों के अधीन की जाने वाली सभी अदायगियों की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है।

5. निवेश

निधि से संबंधित सभी धनराशि का निवेश कर्मचारी राज्य बीमा निधि से संबंधित धनराशि के निवेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में विनिर्दिष्ट तरीके में किया जाएगा।

6. पात्रता की शर्त

सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (उनसे भिन्न जो अभिदायी भविष्य निधि की सदस्यता के पात्र हैं) और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदान करेंगे।

परन्तु ऐसा कोई कर्मचारी जिससे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान करने की अपेक्षा की गई है या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, निधि में सम्मिलित होने या अभिदाता के रूप में बने रहने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी निधि में अभिदान करने के अपने अधिकार को प्रतिधारित रखता है ।

परन्तु यह और कि ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो 31 मार्च, 1960 से पहले एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर चुका है, प्रथम अप्रैल, 1960 से पहले की किसी तारीख से निधि में अभिदान नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :—ऐसा कोई अस्थाई कर्मचारी जो किसी मास के किसी दिन एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है उसके पश्चात्वर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा ।

टिप्पणी 1. :—इस नियम के प्रयोजन के लिए शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अस्थाई कर्मचारी माना जाएगा।

टिप्पणी 2. :—ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो किसी मास के बीच में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करता है, उसके पश्चात्वर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा, ।

टिप्पणी 3 :—ऐसे अस्थाई कर्मचारी जिनमें शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी शामिल हैं । जो नियमित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं और जिनके एक वर्ष से अधिक तक बने रहने की सम्भावना है, एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय सामान्य भविष्य निधि में अभिदान कर सकते हैं ।

7. नाम निर्देशन

(1) निधि में सम्मिलित होने के समय अभिदाता लेखा अधिकारी को एक नामांकन भेजेगा जिसके द्वारा निधि में उसके नाम जमा रकम उस रकम के देय होने से पूर्व अथवा देय होने पर अदायगी किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यदि अभिदाता अवयस्क है तो उससे नामनिर्देशन करने की अपेक्षा वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर की जाएगी।

परन्तु यह और कि वह अभिदाता जिसका नामनिर्देशन करने के समय कोई कुटुम्ब है, ऐसा नामनिर्देशन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में करेगा।

परन्तु यह और भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि की बाबत किया गया कोई नामनिर्देशन जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदान कर रहा था, में उसके नाम से जमा रकम यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी गई है तो, तब तक इस नियम के अधीन किया गया विधिवत् नामनिर्देशन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामनिर्देशन नहीं कर देता ।

2 यदि अभिदाता उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामांकन में वह रकम या अंश, जो प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय होगी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत निधि में उसके नाम किसी समय जमा सम्पूर्ण रकम आ जाए ।

3. प्रत्येक नामनिर्देशन इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में घोषित प्रारूप में किया जाएगा।

4. अभिदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित सूचना भेजकर उस द्वारा किए गए नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक रूप से इस नियम के उपबंधों के अनुसार नया नामनिर्देशन भेजेगा ।

5. अभिदाता नामनिर्देशन में :

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के संबंध में यह व्यवस्था कर सकता है कि यदि उसकी मृत्यु अभिदाता की मृत्यु से पूर्व हो जाए तो ऐसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें नामनिर्देशन में निर्दिष्ट किया जाए अन्तरित हो जाएगा

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब का अन्य कोई सदस्य है तो एस या ऐसे अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य होने चाहिएं । जहां अभिदाता खंड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को एसा अधिकार प्रदान करता है वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत नामनिर्देशिती को देय सम्पूर्ण रकम आ जाए ।

(ख) यह व्यवस्था कर सकता है कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटने की दशा मे अविधिमान्य हो जाएगा ।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अधीन किसी वैकल्पिक नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उसके कुटुम्ब में अन्य सदस्य या सदस्यों के आ जाने पर अविधि मान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने के तुरन्त पश्चात् जिसके सम्बन्ध में नामनिर्देशन में उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन कोई विशेष व्यवस्था नही की गई है या कोई ऐसी घटना घट जाने पर जिसके कारण, नामनिर्देशन उप नियम (5) के खंड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाता, अभिदाता नामनिर्देशनो को रद्द करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित सूचना देगा और उसके साथ इस नियम के उप-खंडों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(7) अभिदाना द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और अभिदाता द्वारा किए गए रद्दकरण की प्रत्येक सूचना वहां तक जहा तक कि वह विधि मान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगी।

टिप्पणी इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "व्यक्ति" या "व्यक्तियो" के अन्तर्गत कम्पनी या संघ या व्यक्ति निकाय भी होगे, चाहे वे निगमित हो या न हो। इसमें प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय सहायता निधि या कोई धर्मार्थ या अन्य न्यास अथवा निधि जैसी ऐसी निधि भी शामिल होगी जिसके लिए नामनिर्देशन भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सचिव या उक्त निधि के अन्य प्रशासक या न्यास के माध्यम से किया जा सकता है।

8 अभिदाता का लेखा :

प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किए जाएगे :

1. उसके अभिदान,

2 अभिदानों पर नियम 13 द्वारा यथा-उपबन्धित ब्याज,

3. निधि से अग्रिम लेना और रकम निकालना।

9. अभिदानो की शर्तें और दरें :

(1) अभिदाता उस अवधि के सिवाय जब वह निलम्बित हो, निधि मे प्रतिमास अभिदान करेगा।

परन्तु कुछ अवधि तक निलम्बित रहने के पश्चात् बहाल किए जाने पर अभिदाता को उक्त अवधि के लिए देय अभिदान की बकाया रकम की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में करने का विकल्प दिया जाएगा परन्तु यह राशि उस देय अभिदान की बकाया रकम की अधिकतम राशि से ज्यादा नही होगी।

परन्तु यह और कि अभिदाना को अपने विकल्पानुसार ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने की छूट होगी, जिसके लिए छुट्टी वेतन न हो या जिसका छुट्टी वेतन आधे वेतन या अर्धे औसत वेतन से कम हो।

टिप्पणी-1

किसी स्थापना में मौसमी पद के पदधारी द्वारा नियोजन की अवधि के दौरान निधि में अभिदान किया जाना आवश्यक नही है।

टिप्पणी-2

अभिदाता को अकार्यदिवस के रूप में समझी जाने वाली अवधि के दौरान अभिदान करने की आवश्यकता नही है।

(2) अभिदाता उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के विकल्प की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा।

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी को अपना वेतन बिल स्वंय बनता है तो छुट्टी पर जाने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदान के कारण कटौती न करके;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन बिल स्वंय नही बनाता तो छुट्टी पर जाने से पहले अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना विधिवत् ओर समय पर नहीं दी जाएगी तो यह समझा जाएगा कि अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी:—

इस उप नियम के अन्तर्गत सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा।

(3) ऐसा अभिदाता जिसने निधि में अपने नाम जमा रकम को नियम-33 के अधीन निकाल लिया है, ऐसी रकम निकालने के पश्चात् तब तक निधि में अभिदान नही करेगा जब तक कि वह ड्यूटी से वापस नहीं आ जाता।

4. उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उस मास के लिए जिसमें वह सेवा छोडता है, निधि में अभिदान तब तक नही करेगा जब तक कि वह उक्त मास के आरम्भ से पूर्व कार्यालय के प्रधान को उक्त मास के लिए

अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना नही दे देता।

10. अभिदान की दरें :

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिदान की दर अभिदाता द्वारा स्वयं नियत की जाएगी, अर्थात्

(क) यह पूर्ण रुपयों में की जाएगी।

(ख) इस प्रकार दी गई दर कोई भी ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी उपलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो।

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अंशदायी भविष्य निधि में 8-1/3 प्रतिशत की उच्च दर से अभिदान करता रहा है, अभिदान की दर इस इस प्रकार से दी गई ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो।

(ग) जब कोई कर्मचारी यथा स्थिति, 6 प्रतिशत या 8-1/3 प्रतिशत को न्यूनतम दर से अभिदान करने का विकल्प देता है। तब अभिदान को निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और ऐसा करते समय 50 पैसे तथा इससे अधिक को निकटतम पूर्ण रुपए के रूप में गिना जाएगा।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिदाता की परिलब्धियां :—

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में था, वही परिलब्धियां होंगी जिनका वह उस तारीख को हकदार था ;

परन्तु:—

(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को अर्ध वेतन छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था अथवा उक्त तारीख को वह निलम्बित था तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका कि वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के बाद वह उस तारीख को हकदार था ;

(2) यदि अभिदाता उक्त तारीख को, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति था अथवा उक्त तारीख को अर्ध वेतन छुट्टी पर था और छुट्टी पर रहता है तो उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धिया होंगी जिनका वह ड्यूटी पर होने या भारत में ड्यूटी पर होने की दशा में हकदार होता ,

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष को 31 मार्च को सेवा में नही था, उसकी परिलब्धिया वे होंगी जिनका वह निधि में सम्मिलित होने की तारीख को हकदार था।

3. अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने मासिक अभिदान की रकम नियत करने की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात:—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो ऐसा कटौती द्वारा जो वह उस मास के अगले वेतन बिल से इस निमित्त या ऐसा करने के लिए करता है;

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी अर्ध वेतन छुटटी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था या ऐसी तारीख को वह निलम्बित था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह ड्यूटी पर वापस आने के बाद अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ;

(ग) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुटटी पर था और अर्ध वेतन छुटटी पर चलता रहता है और उसने ऐसी छुटटी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो उस मास के लिए अपने वेतन बिल मे इस निमित्त करवाना पड़ता है या करवाता है।

(घ) यदि उसने वर्ष के दौरान प्रथम बार सेवा में प्रवेश किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के वेतन बिल मे जिस मास मे, वह निधि में सम्मिलित हुआ है, इस निमित्त करवाना पड़ता है या करता है।

(4) इस प्रकार नियत की गई अभिदान की रकम—

क. वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकती है

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है;

(ग) यथापूर्वोक्त घटाई या बढ़ाई जा सकता है।

परन्तु यदि अभिदान की रकम उस प्रकार घटाई जाती है तो वह उपनियम (i) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी।

परन्तु यह और यदि अभिदाता किसी कैलेण्डर मास के किसी भाग में वेतन बिना छुटटी या अर्धवेतन या अर्ध-वेतन छुटटी पर है और उसने ऐसी छुटटी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया है तो अभिदान की देय रकम काम करने के दिनों की संख्या जिसमें उस पर निर्दिष्ट छुट्टियों से भिन्न छुटटी यदि कोई है, सम्मिलित है, के अनुपात में होगी।

11. सरकारी या किसी अन्य संगठन या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।

यदि अभिदाता का स्थानान्तरण कर दिया जाता है या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह उसी रीति से निधि के नियमों के अधीन रहेगा मानो उसका स्थानान्तरण न हुआ हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर न भेजा गया हो।

12. अभिदानों की वसूली

(1) (i)यदि परिलब्धियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि से ली जाती है तो अभिदान की वसूली तथा

निधि में से किसी प्रकार की अग्रिम के मूल तथा ब्याज की वसूली परिलब्धियों में से ही की जाएगी।

(2) (2) यदि परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती है तो अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास लेखा अधिकारी को भेजेगा।

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियन्त्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाता के मामले में अभिदानों की वसूली ऐसे निकाय द्वारा की जाएगी और वह लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी।

(3) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से जिसको निधि में सम्मलित होने की उससे अपेक्षा की गई है, अभिदान नही करता या किसी वर्ष के दौरान किसी मास अथवा कई मासों में नियम–9 में उपबन्धित से भिन्न स्थिति में अभिदान करने में चूकता है तो अभिदान की बकाया मदें निधि में देय कुल रकम नियम –13 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित अभिदाता अविलम्ब निधि में अदा की जाएगी या चूकने पर लेखा अधिकारी उस रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से किस्तों में अथवा अन्यथा जैसा कि वह प्राधिकारी, जो ऐसी अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम है, जिसकी मंजूरी के लिए नियम –14 के उपनियम–(2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, निर्देश करे, कटौती करके वसूली करने के आदेश देगा।

परन्तु उन अभिदाताओं से, जिनकी निधि में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, कोई ब्याज अदा करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

13. ब्याज

(1) उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम अभिदाता के खाते में ब्याज ऐसी दर से जमा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि के सम्बंध में प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाए।

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित ब्याज की दर चार प्रतिशत से कम है तो जिस वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रथम बार चार प्रतिशत से कम नियत की गई है, उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में निधि के सभी अभिदाताओं को चार प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि उस अभिदाता को भी, जो पहले केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य भविष्य निधि में कर रहा था और जिसके अभिदान उन पर ब्याज सहित नियम–26 के अधीन इस निधि में उसके लेखों में अन्तरित कर दिए गए हैं, चार प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि वह इस नियम के प्रथम परन्तुक के समान किसी उपबंध के अधीन ऐसी अन्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उस दर पर ब्याज प्राप्त कर रहा था।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा; :—

(1) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के जमा खाते रकम पर, उसमें चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर बारह मास के लिए ब्याज;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर चालू वर्ष के आरम्भ से रकम निकालने के मास के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक के लिए ब्याज;

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन के बाद अभिदाता के लेखे में जमा की गई सभी राशियों पर जमा करने की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक के लिए ब्याज;

(4) ब्याज की कुल रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे और इससे अधिक को अलग एक रुपया गिना जाएगा)।

परन्तु जब किसी अभिदाता के खाते में जमा रकम देय हो जाती है तो इस नियम के अधीन ब्याज, यथा स्थिति केवल चालू वर्ष के आरम्भ से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक जिसको अभिदाता के लेखे में जमा रकम देय हो जाए, जमा किया जाएगा।

3. इस नियम में परिलब्धियों में से वसूली के मामले में जमा की तारीख उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें उसकी वसूली की जाती है और अभिदाता द्वारा भेजी जाने वाली रकम के मामले में उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें अभिदान प्राप्त किया गया है, यदि वह उस मास के पांचवें दिन के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि वह मास के पांचवें दिन या उसके पश्चात् प्राप्त होता है तो ठीक अगले मास का प्रथम दिन समझी जाएगी;

परन्तु जहां अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्ते लेने में विलम्ब हुआ है और परिणामस्वरूप निधि के संबंध में उसके अभिदान की वसूली में भी विलम्ब हुआ है वहां ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन देय था भले ही वह वस्तुतः किसी भी माम में क्यों न लिया गया हो।

परन्तु यह और कि नियम–12 के उपनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई रकम के मामले में, यदि वह मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाती है तो जमा करने की तारीख मास का प्रथम दिन समझी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि जहां मास की परिलब्धियां मास के अन्तिम कार्यदिवस को ली और संवितरित की जाती हैं, वहां अभिदाता के अभिदान की वसूली के मामले में जमा की तारीख आगामी मास का प्रथम दिन समझी जाएगी।

4. नियम–20, 21 या 22 के अधीन संदत्त की जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उस मास के जिसमें संदाय किए जाएं, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक या

जिस मास में रकम देय हुई हो उसके पश्चात छठे मास के अन्त तक, इन दोनों अवधियों में से जो भी कम हो, उस व्यक्ति को देय होगी जिसे ऐसी रकम अदा दी जानी है;

परन्तु जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को कोई ऐसी तारीख सूचित कर दी है जिस तारीख को वह नकद अदायगी करने के लिए तैयार है अथवा अदायगी के लिए उस व्यक्ति को चैक भेज दिया है तो यथास्थिति ब्याज इस प्रकार सूचित तारीख या चैक भेजने की तारीख के पूर्ववर्ती मास के अन्त तक ही देय होगा।

परन्तु यह और कि जहां अभिदाता सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्त के और किसी पूर्व प्रभावी तारीख से ऐसे निगमित निकाय या संगठन में आमेलित कर लिया जाता है तो अभिदाता को निधि में संचतों पर देय ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए आमेलन की बाबत आदेश जारी किए जाने की तारीख वह तारीख समझी जाएगी, जिसको अभिदाता के नाम में जमा रकम देय हो गई हो, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि आमेलन की तारीख से आरम्भ होने वाली और आमेलन के आदेश जारी किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अभिदान के रूप में वसूल की गई रकम इस उपनियम के अधीन केवल ब्याज दिए जाने के प्रयोजन के लिए निधि में अभिदान समझी जाएगी।

(5) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को सूचित कर देता है कि वह ब्याज लेना चाहता तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज मांगता है तो उस वर्ष के प्रथम दिन से, जिसमें वह ब्याज की मांग करता है, ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा।

(6) ऐसी रकमों पर जो नियम 2 के उपनियम (3), नियम 20 या 21 के अधीन निधि में अभिदाता के जखा खाते में प्रतिस्थापित की जाती है, ब्याज की गणना ऐसी दरों से की जाएगी जो इस नियम के उपनियम (3) के अधीन उत्तरोत्तर विहित की जाए और जहां तक हो सकता है, ऐसी रीति से संगठित की जाएगी जो इस नियम में वर्णित है।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने निकासी की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निधि से निकाली है तो अधिक निकाली गई राशि, इस बात का ध्यान किए बिना कि अधिक निकाली गई राशि अग्रिम है या निकासी है या निधि से अन्तिम संदाय है, ब्याज सहित उसके द्वारा इसकी एकमुश्त अदायगी की जाएगी या राशि लौटाने में असफल होने पर अभिदाता की परिलब्धियों में एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश जारी किया जाएगा। यदि कुछ अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक वसूल की जानी हो तो वसूली, ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि की वसूली होने तक उसकी परिलब्धियों की आधी मासिक किश्तों में की जाएगी। इस उपनियम के लिए अधिक निकाली गई राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन अतिशेष भविष्य निधि पर सामान्य दर के अतिरिक्त 2½ होगी। अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया गया ब्याज "049—ब्याज प्राप्तियां निगम की अन्य ब्याज प्राप्तियां,, अन्य प्राप्तियां शीर्ष के अन्तर्गत, भविष्य निधि से निकाली गई राशि पर ब्याज उस शीर्ष के अधीन निगम के खाते में जमा किया जाएगा।

14. निधि से अग्रिम

(1) महानिदेशक या इस सम्बन्ध में उन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए ऐसी राशि के अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकता है जो (----------) पूर्ण रुपयों में होगी और अभिदाता के तीन मास के वेतन की रकम से या निधि में उसके नाम जमा रकम के आधे से, दोनों में से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी अर्थात् :—

(क) अभिदाता उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या निःशक्तता की बाबत व्यय का जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है, अदायगी के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के खर्च की बाबत, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है निम्नलिखित दशाओं में पूरा करने के लिए अर्थात् :—

(1) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से ऊपर किसी शैक्षिक, तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए ; और

(2) भारत में हाई स्कूल स्तर के ऊपर के किसी चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष की कालावधि से कम न हो;

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुसार समुचित स्तर के किसी अनिवार्य व्यय के संदाय के लिए जो व्यय अभिदाता की रूढिगत प्रथा के कारण उसे सगाई या विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य संस्कारों के सम्बंध में व्यय करना पड़े।

(घ) अभिदाता, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के खर्च वहन के लिए इस मामले में अग्रिम किसी अन्य सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए ग्राह्य किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा।

(ङ) जहां अभिदाता अपने विरुद्ध किसी अभिकथित शासकीय कदाचार की बाबत जांच मे अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है, वहा उसकी प्रतिरक्षा का व्यय वहन करने के लिए ।

(च) अपने निवास के लिए भूखंड या गृह या फ्लैट के निर्माण की लागत वहन करने के लिए या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा भूखण्ड या फ्लैट के आबंटन की कोई अदायगी करने के लिए ।

(2) महानिदेशक विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि सम्बन्धित अभिदाता को उपनियम (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणो से अग्रिम की आवश्यकता है ।

(3) किसी अभिदाता को उपनियम (1) मे अभिकथित सीमा से अधिक अग्रिम या जब तक कि किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त की अदायगी नहीं कर दी जाती है, तब तक कोई अग्रिम विशेष कारणो से ही जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मंजूर किया जाएगा अन्यथा नही ।

(4) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अग्रिम किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त की अदायगी होने से पहले मंजूर कर दिया जाता है तो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किए गए अवशेषो को इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम मे जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्तें ऐसी समेकित रकम के संदर्भ मे निश्चित की जाएंगी ।

(5) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात् रकम ऐसे मामलों में, जिसमें अन्तिम संदाय के लिए आवेदन नियम-25 के उपनियम (3) के खण्ड (2) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया हो, लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही ली जाएगी ।

टिप्पणी :—1.

इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन में जहा स्वीकार्य हो, महंगाई वेतन भी आता है ।

टिप्पणी :—2 इस नियम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी इन नियमों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

टिप्पणी :—3. अभिदाता को नियम-14 के उपनियम (1) की मद (ख) के अधीन अग्रिम लेने की अनुमति प्रत्येक छह मास में एक बार दी जाएगी।

15. अग्रिमो की वसूली :—

(1) अभिदाता से अग्रिम की वसूली उतनी सामान मासिक किश्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु किश्तों की संख्या 12 से कम तब तक नहीं होगी जब तक अभिदाता स्वयं ऐसा विकल्प न दे । और किसी भी दशा में 24 से अधिक नहीं होगी । विशेष मामलों में, जहां अग्रिम की रकम, नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, वहा मंजूरी प्राधिकारी 24 से अधिक किश्तें नियत कर सकता है किन्तु किसी भी दशा मे 36 से अधिक किश्तें नियत नहीं कर सकता है । अभिदाता अपनी इच्छानुसार किसी मास में एक से अधिक किश्तों का प्रतिसंदाय कर सकता है। प्रत्येक किश्त पूर्ण रुपयों मे होनी चाहिए और ऐसी किश्तें नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को, यदि आवश्यक हो, बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

(2) वसूली नियम 12 मे अभिदातों की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम दिया जाता है उसके ठीक बाद वाले मास के वेतन से आरम्भ होगी। जब अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है या किसी कलैंडर मास में दस या अधिक दिन के लिए ऐसी छुट्टी पर है जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता अथवा अर्धवेतन या अर्ध औसत वेतन के समतुल्य या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता है तब उसकी सहमति के बिना वसूली नही की जाएगी । अभिदाता के लिखित निवेदन पर मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान वसूलियो को स्थापित कर सकता है ।

(3) यदि अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर दिया गया है वह उसे ले चुका है तथा अग्रिम बाद मे अदायगी पूरी होने से पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो ली गई कुल रकम या उसका अवशेष का अभिदाता द्वारा, निधि मे तुरन्त भुगतान कर दिया जाएगा अथवा व्यतिक्रम की दशा मे, लेखा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर अभिदाता की परिलब्धियों में से लेखा अधिकारी के निदेशानुसार एकमुश्त अथवा उतनी मासिक किश्तों मे जो बाद से अधिक न हो कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा ।

परन्तु ऐसा अग्रिम नामंजूर करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि अदायगी लागू क्यों न की जाए और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर भेज दिया जाता है तो इसे निर्णय के लिए महानिदेशक को भेजा जाएगा और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नही भेजा है तो अग्रिम की अदायगी के इस उप नियम में विहित रीति से लागू किया जाएगा ।

4. इस नियम के अधीन की गई वसूलियां अभिदाता के खाते में जमा कर दी जाएगी ।

16. अग्रिम का सदोष उपयोग :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी के लिए यह सन्देह करने का कारण हो कि नियम 14 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप मे लिए गए धन

का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए ऐसे धन का लिया जाना मंजूर किया गया था तो वह अभिदाता को अपने सन्देह का कारण सूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करे कि क्या अग्रिम का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए धन का लिया जाना मंजूर किया गया था । यदि पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण से मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को संबंधित रकम निधि में तत्काल अदा करने के लिए निदेश देगा या व्यतिक्रम की दशा में अभिदाता की परिलब्धियों में से चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न हो, उसकी एक मुश्त कटौती करने का आदेश दिया जाएगा । परन्तु अदायगी की कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों के अर्धांश की मासिक किस्तों में, तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा सम्पूर्ण रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती है ।

टिप्पणी:—इस नियम में परिलब्धियां शब्द में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है ।

17. निधि में आहरण :

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए रकम निकालने की मंजूरी उन प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जो नियम 14 के उप नियम (2) के अधीन किसी भी समय विशेष कारणों के लिए नियमानुसार अग्रिम मंजूर करने में सक्षम है । अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है (पूरी होने के पश्चात् यह अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:—

(क) अभिदाता या अभिदाता की किसी सन्तान की उच्चतर शिक्षा का खर्चा, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, निम्नलिखित मामलों में वहन करने के लिए, अर्थात्:—

(i) भारत से बाहर हाई स्कूल से ऊपर शैक्षिक तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, और

(ii) भारत में हाई स्कूल से ऊपर चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए :

(ख) अभिदाता या उसके पुत्र या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार की सगाई/विवाह से संबंधित व्यय वहन करने के लिए ;

(ग) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, वहन करने के लिए;

(2) अभिदाता की 10 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है (पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:—

(i) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण करना या उसे अर्जित करना या निर्मित फ्लैट अर्जित करना जिसमें स्थल की लागत भी सम्मिलित है;

(ii) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह निर्माण या उसे अर्जित करने अथवा निर्माण फ्लैट अर्जित करने के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए उधार के कारण बकाया रकम की अदायगी करना;

(iii) किसी गृहस्थल का अपने निवास के लिए इस पर गृह निर्माण के लिए खरीद करना या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए उधार के कारण बकाया रकम की अदायगी करना;

(iv) पहले से ही अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित गृह अथवा फ्लैट का पुनर्निर्माण करना या उसमें वृद्धि अथवा परिवर्तन करना;

(v) ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह या ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर सरकार से लिए गए ऋण की सहायता से निर्मित गृह का नवीकरण, उसमें वृद्धि या परिवर्तन करना या उसे ठीक-ठाक रखना;

(vi) खण्ड (iii) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह का निर्माण करना;

(vii) अभिदाता की सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर निधि में उसके नाम जमा रकम से कृषि या कारबार परिसर या दोनों को अर्जित करने के प्रयोजन के लिए दी जा सकती है;

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष के अभिदान के बराबर राशि एक बार अभिदाता द्वारा स्वयवित्त पोषित तथा अंशदायी आधार पर नियत कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए संदत्त की जाएगी ।

टिप्पणी :—

वह अभिदाता जिसने गृह निर्माण के प्रयोजनों के अग्रिम मंजूर करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना के अधीन अग्रिम का लाभ उठाया है या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से सहायता दी गई है, उप नियम के उप-खंड (i), (iii), (iv), और (vi) के अधीन उनमें

विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और उपर्युक्त योजना के अधीन लिए गए ऋण को अदायगी के प्रयोजनों के लिए भी, नियम 18 के उप नियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अंतिम रूप से रकम निकालने की मंजूरी का हकदार होगा ।

यदि किसी अभिदाता के पास अपने ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिए गए ऋण की सहायता से गृह का निर्माण किया है तो वह अपने ड्यूटी के स्थान पर गृह स्थल खरीदने के लिए या दूसरे गृह के निर्माण के लिए या निर्मित फ्लैट अर्जित करने के लिए उप नियम (2) के खंड (i), (iii) और (vi) के अधीन अन्तिम रूप से रकम निकालने की मंजूरी के लिए हकदार होगा ।

टिप्पणी 2. : उप नियम (2) के खंड (i), (iii), (v) या (vi) के अधीन रकम का निकाला जाना अभिदाता द्वारा निर्मित किए जाने वाले गृह का या की जाने वाली वृद्धि अथवा किए जाने वाले परिवर्तनों का उस क्षेत्र के जहां स्थल या गृह स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही मंजूर किया जाएगा और केवल उन्हीं मामलों में मंजूर किया जाएगा जिनमें रेखाचित्र वास्तव में अनुमोदित कराया जाता है ।

टिप्पणी 3. : उप नियम (2) के खंड (ii) के अधीन मंजूर की गई आहरण की रकम, खंड (1) के अधीन पिछले आहरण की रकम सहित, उसमें से पिछले आहरण की रकम को घटाकर आवेदन की तारीख को बकाया तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिस सूत्र का पालन किया जाता है वह यह है :– [उस तारीख को बकाया तथा संबंधित गृह के लिए पिछले आहरण (आहरणों) की रकम के तीन चौथाई से पिछले आहरण (आहरणों) की रकम को घटा दें] ।

टिप्पणी 4. : उप नियम (2) के खंड (1) या (4) के अधीन रकम निकालने की अनुमति वहां भी दी जाएगी जहां गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम पर है परंतु यह तब जब कि वह अभिदाता द्वारा किए गए नाम निर्देशन में भविष्य निधि से धन प्राप्त करने के लिए प्रथम नाम निर्देशिती हो ।

टिप्पणी 5 : इस नियम के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिए केवल एक बार रकम निकालने की अनुमति दी जाएगी किन्तु विभिन्न संतान के विवाह या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर बीमारियों या उस क्षेत्र के, जहां गृह या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नए रेखाचित्र के अन्तर्गत आने वाले गृह या फ्लैट में अतिरिक्त वृद्धि या परिवर्तन को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जाएगा । किसी गृह को पूरा करने के लिए उपनियम (2) के खंड (1) या (6) के अधीन दूसरा या उसके बाद रकम निकालने की अनुमति टिप्पण 3 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जाएगी ।

टिप्पणी 6. : यदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय पर नियम 14 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है तो इस नियम के अधीन रकम निकालने की मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

3. रकम निकालने की मंजूरी देने के पश्चात ऐसे मामलों में, जिनमें अंतिम भुगतान के लिए आवेदन नियम 25 के उप नियम (3) के खंड (ii) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया था, रकम लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर ही जाएगी ।

18. रकम निकालने की शर्तें .

(1) अभिदाता द्वारा निधि में अपने खाते में जमा रकम से नियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, एक समय पर निकाली गई कोई राशि सामान्यतया ऐसी रकम के आधे या छह मास के वेतन, दोनों में से जो कम हो, अधिक नहीं होगी परन्तु मंजूरी प्राधिकारी इस सीमा से अधिक रकम का निकालना जो निधि में उसके खाते में जमा अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है । (i) उस उद्देश्य को, जिसके लिए रकम निकाली जा रही है, (ii) अभिदाता की हैसियत को, और (iii) निधि में उसके खाते में जमा रकम को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए मंजूर कर सकता है ।

परन्तु नियम 17 के (घ) के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली अधिकतम रकम गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना के नियम 2 (क) और 3 (ख) के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि किसी अभिदाता के मामले में जिसने गृह निर्माण प्रयोजनों की बाबत अग्रिम के अनुदान के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जिसे अन्य सरकारी स्रोत से इस बारे में कोई सहायता दी गई है, इस उप नियम के अधीन निकाली गई राशि और उपर्युक्त योजना के अधीन दिए गए अग्रिम या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की राशि मिलाकर उपर्युक्त योजना के नियम 2 (क) और 3 (ख) के अधीन समय-समय पर विहित की गई अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 1. : नियम 17 के उप नियम (2) के खंड (1) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई आहरण की राशि किश्तों में निकाली जा सकती है और किश्तों की संख्या मंजूरी की तारीख से बारह महीने के कैलेण्डर की अवधि में चार से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 2. : उन मामलों में जिनमें अभिदाता को खरीदे गए स्थल या गृह अथवा फ्लैट या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिए भुगतान किश्तों में करना है, उसे तब-तब रकम निकालने की अनुमति दी जाएगी जब जब उससे ऐसी किश्तों का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा । ऐसा प्रत्येक भुगतान नियम 16 के लिए पृथक प्रयोजन के लिए भुगतान माना जाएगा ।

2. वह अभिदाता जिसे नियम 17 के अधीन निधि में से धन निकालने की अनुमति दी गई है, मंजूरी प्राधिकारी का ऐसे यथोचित समय के भीतर जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में चूक जाता है तो इस प्रकार निकाली गई कुल राशि अथवा उसके उतने भाग को जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह निकाला गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में एकमुश्त लौटाया जाएगा और ऐसा भुगतान करने में चूक होने की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी उस रकम को उसकी परिलब्धियों में से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किश्तों में, जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए वसूल करने का आदेश देगा ।

परन्तु इस नियम के अधीन आहरण की अदायगी लागू करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि अदायगी को लागू क्यों न किया जाए और यदि मंजूरी प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी इस उप नियम के अधीन विहित रीति से अदायगी करवाएगा ।

3. (क) वह अभिदाता जिसे नियम 17 के उपनियम (2) के खंड (i), खंड (ii) और (iii) के अधीन निधि में अपने नाम जमा रकम निकालने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से निर्मित या अर्जित गृह या खरीदे गए गृह स्थल का कब्जा विक्रय बंधक (महानिदेशक के नाम में बंधक से भिन्न) दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा किसी रूप में, महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं देगा :

परन्तु ऐसी अनुमति किसी ऐसी अवधि के लिए गृह या गृह स्थल को पट्टे पर देने के लिए

(1) जो तीन वर्ष से अधिक न हो या

(2) उसे किसी आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में जिसने नए गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए कोई ऋण दिया हो, बंधक रखने के लिए, आवश्यक नहीं होगी ।

(ख) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, गृह या गृह स्थल उसके कब्जे में ही है अथवा वह पूर्वोक्त के अनुसार बंधक रख दिया गया है अथवा अन्यथा अंतरित कर दिया गया है या पट्टे पर दे दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वह मूल विक्रय, बंधक या पट्टा विलेख तथा ऐसे अन्य दस्तावेज भी जिन पर सम्पत्ति पर उसका हक आधारित है, प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी समय अभिदाता महानिदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना गृह या गृह स्थल का कब्जा त्याग देता है तो वह तुरन्त अपने द्वारा निकाली गई राशि का निधि में एकमुश्त भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान करने में चूक की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी, अभिदाता को इस विषय में अभ्यावेदन करने का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात उक्त राशि को अभिदाता की परिलब्धियों में से या तो एकमुश्त अथवा उतनी मासिक किश्तों में जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, वसूल कराएगा ।

टिप्पणी : उस अभिदाता से जिसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से ऋण लिया है और उसके बदले में गृह या गृहस्थ निगम को बंधक रख दिया है, निम्नलिखित आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :–

"मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस गृह या गृह स्थल के निर्माण के लिए या अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से धन निकाला था वह मेरे कब्जे में ही है किन्तु निगम के पास बंधक रख दिया गया है ।"

19. अग्रिम का आहरण में परिवर्तन : वह अभिदाता जिसने नियम 14 के अधीन उक्त नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया है अथवा भविष्य में ले सकता है, नियम 17 और 18 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर देने पर स्वविवेकानुसार और मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को संबंधित लिखित निवेदन करके अग्रिम के बकाया अतिशेष को अन्तिम आहरण में परिवर्तित कर सकता है ।

टिप्पण 1. : प्रशासनिक अधिकारी अराजपत्रित अभिदाताओं के मामले में कार्यालय के प्रधान से और राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में संबंधित खजाना अधिकारी को वेतन बिलों में से वसूलियां रोकने के लिए तब कह सकता है जब ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसे प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को भेज दिया जाता है प्रशासनिक प्राधिकारी अभिदाता को सूचना भेजने वाले पत्र की एक प्रति उस खजाना अधिकारी को भेजेगा जिससे वह अभिदाता अपना वेतन प्राप्त करता है ताकि आगे वसूलियां रोकने की अनुमति दी जा सके ।

टिप्पण 2 : नियम 18 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, परिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा रकम या अभिदान तथा उस पर ब्याज और अग्रिम को बकाया रकम को अतिशेष माना जाएगा । प्रत्येक रकम का निकालना पृथक रकम का निकालना माना जाएगा और एक से परिवर्तनों की स्थिति में वही सिद्धांत लागू होगा ।

20. निधि में से संचयों का अन्तिम रूप से आहरण जब अभिदाता सेवा छोड़ दे तब निधि में उसके नाम जमा रकम उसे देय हो जाएगी :

परन्तु वह अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में सेवा में बहाल कर दिया गया है यदि महानिदेशक ऐसा करने की अपेक्षा करें तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि में से उसे भुगतान की गई रकम का नियम 13 के उपबन्धित दर से ब्याज के साथ, नियम 21 के परन्तुक में उपबन्धित रीति से भुगतान करेगा । इस प्रकार भुगतान की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1 :– संविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से अथवा उस अभिदाता से, जो सेवा से निवृत्त हो गया है, जिसे बाद में सेवा के व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित किया गया है, भिन्न अभिदाता के बारे में उस दशा में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है । जब उसे सेवा में व्यवधान बिना राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे विभाग के अधीन (जिसमें वह किन्हीं अन्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होता है) किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसका अपने पूर्व पद से कोई संबंध नहीं रह जाता । ऐसे मामले में उसके अभिदाय ब्याज सहित :–

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में है तो अन्य निधि में उस निधि के नियमों के अनुसार अंतरित कर दिए जाएंगे, या

(ख) यदि नया पद किसी राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिदानों और ब्याज के ऐसे अंतरण के लिए सहमति दे देती है तो संबंधित राज्य सरकार के अधीन नए लेखे में अंतरित कर दिए जाएंगे ।

टिप्पणी :– स्थानांतरण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की समुचित आज्ञा से कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पदत्याग के मामले आएंगे । ऐसे मामलों में जिस सेवा में व्यवधान हो जाता है उनमें व्यवधान केवल भिन्न स्थानांतरण के लिए दी गई पदग्रहण अवधि तक सीमित होगा ।

यही उपबन्ध ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें छंटनी पश्चात् तुरन्त उसी या भिन्न सरकार के अधीन नियोजन जब प्राप्त हो जाता है ।

स्पष्टीकरण 2 : संविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से भिन्न अभिदाता, जो सेवा निवृत्त हो चुका है और जिसे बाद में, सेवा में व्यवधान के बिना, किसी ऐसे निगमित निकाय, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में पुनः नियोजित अथवा स्थानांतरित किया जाता है, तो अभिदानों की रकम का उस पर ब्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, अपितु वे उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन नए भविष्य निधि लेखे में अंतरित कर दी जाएंगी ।

स्थानांतरण के अंतर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की यथोचित अनुमति से पदग्रहण करने के लिए सेवा से पदत्याग के मामले भी आते हैं। नए पद का भार ग्रहण करने में लगने वाले समय को, यदि वह समय सरकारी कर्मचारी की एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए स्वीकार्य पद ग्रहण अवधि से अधिक नहीं है तो, सेवा भंग नहीं माना जाएगा।

परन्तु किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले अभिदाता के अभिदान की रकम और उस पर ब्याज, यदि अभिदाता ऐसा चाहता है और यदि संबंधित उद्यम ऐसे अंतरण के लिए सहमत हो जाता है तो, ऐसे उद्यम के अधीन उसके नए भविष्य निधि लेखे को अंतरित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अभिदाता ऐसे अंतरण की इच्छा नहीं करता है या संबंधित उद्यम की कोई भविष्य निधि नहीं है तो उपरोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

21 अभिदाता की सेवानिवृत्ति

जब

(क) अभिदाता सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह किसी प्रवकाश विभाग में नियोजित है तो जब वह अवकाश के साथ सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है, या

(ख) अभिदाता को छुट्टी पर रहने के दौरान सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दे दी गई है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे और सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है,

तब निधि में उसके नाम जमा रकम, उसके द्वारा इस निमित्त लेखा अधिकारी को आवेदन किए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी :

परन्तु यदि अभिदाता ड्यूटी पर वापस आ जाता है तो वह, महानिदेशक द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर, इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई रकम का उस पर नियम 13 में उपबंधित दर से ब्याज के साथ नकद या प्रतिभूतियों के रूप में किश्तों में या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा उस अधिकारी के निदेशानुसार जो ऐसे अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम है और जिसकी मंजूरी देने के लिए नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है अपने खाते में जा किए जाने के लिए निधि में भुगतान करेगा।

22. अभिदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया:

निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के देय हो जाने से पूर्व या जहां रकम देय हो गई है वहां भुगतान किए जाने के पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर :

(1) जहां अभिदाता कुटुंब छोड़ जाता है .—

(क) यदि नियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में अथवा इसके पूर्व तत्समान किसी नियम के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन कुटुंब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में है तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका कोई भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन किया गया है, अभिदाता के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों के नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात से देय हो जाएगा,

(ख) यदि अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है अथवा यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के केवल कुछ भाग के संबंध में है तो, यथास्थिति, संपूर्ण रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में नाम निर्देशन नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन तात्पर्यित है, उसके कुटुंब के सदस्यों के बीच समान अंशों में से देय होगा :

परन्तु ऐसा कोई अंश—

(1) उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(2) मृत पुत्र के उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(3) उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित है;

(4) मृत पुत्र की उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं, देय नहीं होगा यदि खंड (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कुटुंब का कोई सदस्य है :

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान को आपस में समान भागों में केवल वह अंश प्राप्त होगा जो उस पुत्र को, यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता तथा प्रथम परन्तुक के खंड (1) के उपबंधों से छूट प्राप्त होती तो, प्राप्त होता।

(ii) यदि अभिदाता अपना कोई कुटुंब नहीं छोड़ता है, तब यदि नियम 1 के उपबंधों या इससे पूर्व प्रवृत्त तत्समान किसी नियम के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिससें नामनिर्देशन संबंधित है अभिदाता के नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जाएगा।

23. जमाराशि—सहबद्ध बीमा योजना—

30 सितम्बर, 1991 को या उससे पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर तथा जिस पर नियम-24 लागू नहीं होता है अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के मास पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम न हो—

(i) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया जिसका अधिकतम वेतनमान 1300* या उससें अधिक है—4000 रु.

(2) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 900 रुपए या उससे अधिक है किंतु 1300 रु.* से कम है—2500 रुपए।

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 291 रुपए या उससे अधिक है किंतु 900रु.* से कम है—1500 रुपए।

*पूर्वपरिशोधित वेतनमान ।

(4) ऐसें अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान 291* रुपए सें कम है—1000 रुपए (*पूर्व परिशोधित वेतनमान)

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम दस हजार रुपए सें अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1

औसत अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी—

(क) मार्च के अंत के अतिशेष में नियम 13 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अंतिम मास मार्च नहीं है तो, उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत ब्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी-2

इस योजना के अधीन भुगतान पूर्व रुपयों में होना चाहिए। यदि किसी देय रकम में रुपए का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। पचास पैसे की गणना एक और रुपए के रूप में की जाएगी।

टिप्पणी-3

इस योजना के अधीन देय धनराशि बीमा धन के किस्म की है, और इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी-4

यह योजना निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप ऐसें निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी-5

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या नियम 27 के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया है, किंतु, जिसकी मृत्यु, यथास्थिति निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने सें पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदानों की रकम और नियोजक का अभिदाय, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खण्ड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशन भोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पणी-6

इस योजना की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के रुख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

21. जमाराशि-सहबद्ध बीमा परिशोधित योजना :—

अभिदाता की मृत्यु पर अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम न हो —

(1) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 4000 रु. या उससे अधिक है—12,000 रुपए;

(2) एसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकाँश भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 2900 रुपए या उससे अधिक है किन्तु 4000 रु. से कम है—7,500 रु.

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,151 रुपए

या उससे अधिक है किन्तु 2,900 रुपए से कम है— 4,500 रुपए.

(4) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,151 रुपए से कम है—3000 रुपए,

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम 30,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी-1 : औसत अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अन्त में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी —

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम 13 के निबन्धों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अन्तिम मास मार्च नहीं है, तो, उक्त अन्तिम मास के अन्त के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अन्तिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत ब्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी-2 : इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रुपयों में होगा। यदि किसी देय रकम में रुपए का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। पचास पैसे की गणना एक रुपए के रूप में की जाएगी।

टिप्पणी-3 : इस योजना के अधीन देय धनराशि बीमा धन के किस्म की है और, इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 2 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी-4 : यह योजना निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निबन्धनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी-5(क) : ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या 27 के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया है, किन्तु जिसकी मृत्यु, यथास्थिति निधि में उसके शामिल होनें की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदानों की रकम और नियोजक का अभिदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खण्ड (क) और (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुर्ननियोजित पेंशन भोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुर्ननियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है।

टिप्पणी-6 : इस योजना की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के रुख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

25. निधि में रकम की अदायगी की रीति :—

(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो जाती है तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि यह उपनियम (3) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी अदायगी करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदेशित, पुनः समनुदेशित या परिदत्त की जानी है, पागल है और उसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो ऐसी अदायगी या पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को किया जाएगा, उस पागल को नहीं।

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसे राशि देय है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो अदायगी भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार कलक्टर के आदेश से उस व्यक्ति को की जाएगी जिसकी देख-रेख में ऐसा पागल व्यक्ति हैं और लेखा अधिकारी केवल उतनी रकम उसे भुगतान करेगा जो वह उस व्यक्ति को जिसकी देख-रेख में वह पागल है, देना ठीक समझे तथा, अतिशेष, यदि कोई हो, अथवा उसका उतना भाग, जितना लेखा अधिकारी ठीक समझे, ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भरण-पोषण के लिए आश्रित है।

(3) निकाली गई रकम का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकम देय है उन्हें रकम को भारत में प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था

करनी होगी। अभिदाता द्वारा भुगतान का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् :—

(1) अभिदाता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्रारूप (फार्म) या तो उसकी अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की आयुपूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या यदि उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख पूर्वत्तर हो तो उसकी प्रत्याशित सेवानिवृति की तारीख से पूर्व इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि उन प्रारूपों को सम्यक रूप से पूरा करने के पश्चात् अभिदता प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वापस कर दे। अभिदाता अपने कार्यालय या विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी के समक्ष निधि की रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आवेदन—

(क) निधि में उसके नाम जमा उतनी रकम के लिए किया जाएगा जितनी उसकी अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्ति की तारीख से अथवा सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा विवरण में उपदर्शित किया गया हो, अथवा,

(ख) यदि अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तो उतनी रकम के लिए किया जाएगा जो खाता बही में उपदर्शित है।

(ii) कार्यालय/विभाग का प्रधान आवेदन को, लिए गए अग्रिमों, और नाम उन अग्रिमों के कारण जो अभी चालू हों, की गई वसूलियों तथा प्रत्येक अग्रिम के संबंध में वसूल की जाने वाली किश्तों की संख्या उपदर्शित करते हुए लेखा अधिकारी को भेजेगा और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी गई अभिदाता के पिछले लेखा विवरण में सम्मिलित अवधि के पश्चात् की गई रकम की निकासियां भी प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) लेखा अधिकारी खाता बही से सत्यापन करने के पश्चात् अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम ए मास पूर्व किन्तु अधिवर्षिता की तारीख पर दे उस रकम का प्राधिकार जारी करेगा जो आवेदन में उपदर्शित की गई है।

(iv) खंड (iii) में उल्लिखित प्राधिकारी भुगतान की प्रथम किश्त होगी। भुगतान के लिए द्वितीय प्राधिकार अधिवर्षिता के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। इसका संबंध उस अभिदाय से होगा जो अभिदाता द्वारा खंड (i) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन में उल्लिखित रकम के पश्चात् किया जाए और इसमें प्रथम आवेदन के समय चालू अग्रिमों के प्रति किश्तो का भुगतान भी होगा।

(v) अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात् अग्रिम/रकम का निकालना मंजूर किया जा सकता है, किन्तु अग्रिम/रकम निकासी की रकम संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर ली जाएगी और लेखा अधिकारी इसकी व्यवस्था मंजूरी प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी उसे प्राप्त होने पर यथाशीघ्र करेगा।

टिप्पणी :—जब नियम 20, 21 और 22 के अधीन अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो जाए तो लेखा अधिकारी उपनियम (3) में उपदर्शित रीति से रकम के तत्परता से भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा।

26. सरकारी कर्मचारी के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

(क) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की किसी अन्य अनभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है, केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में पेंशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से शासित होता है तो स्थानांतरण की तारीख को ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा-अभिदानों की रकम, उस पर ब्याज सहित, निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

परन्तु जहां अभिदाता किसी राज्य सरकार को अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था वहां उस सरकार की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(ख) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो राज्य रेल भविष्य-निधि या केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य अभिदायी भविष्य निधि या राज्य अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है, केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में पेंशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से से शासित होता है और जब तक अभिदाता ऐसी निधि के नियमों से शासित होते रहने का चयन नहीं करता है, जबकि ऐसा विकल्प दिया गया है :—

(i) स्थानांतरण की तारीख को ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके नाम जमा अभिदानों की रकम, उस पर ब्याज सहित अन्य सरकार की, यदि कोई हो, तो उसकी सहमति से निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी,

(ii) ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके नाम जमा सरकारी अभिदायों की रकम, उस पर ब्याज सहित, अन्य सरकार की, यदि कोई हो, तो उसकी सहमति से केन्द्रीय राजस्व (सिविल) में जमा कर दी जाएगी, और

(iii) अभिदाता स्थाई स्थानांतरण की तारीख से पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की गणना के संबंध में जहां तक सुसंगत पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय विस्तार है, पेंशन के लिए हकदार होगा ।

टिप्पणी 1 :—इस नियम के उपबन्ध ऐसे अभिदाता पर लागू नहीं होते जो सेवा-निवृत्त हो गया है और बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित किया गया है और उस अभिदाता पर लागू नहीं होता जिसकी पिछली नियुक्ति संविदा के आधार पर थी ।

टिप्पणी 2 :—परन्तु इस नियम के उपबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू होंग जिन्हें सेवा में व्यवधान के बिना चाहे अस्थाई रूप मे या स्थाई रूप से, सेवा में त्यागपत्र के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है ।

27. स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

किसी व्यक्ति को सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी सगठन से सरकारी सेवा में स्थानांतरित किए जाने पर प्रक्रिया—यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे निधि के फायदे दिए जाने लगे हैं, पहले सरकार के स्वामित्वाधान या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी भविष्यनिधि में अभिदाता था तो उसके अभिदानों और नियोजकों के अभिदायों की रकम, यदि कोई हो, उन पर ब्याज सहित, ऐसे निकाय की सहमति से निधि में उसके लेखे में अंतरित कर दी जाएगी ।

28. अभिदायी भविष्यनिधि (भारत) में रकम का अन्तरण :

यदि निधि के किसी अभिदाता को बाद में अभिदायी भविष्य निधि (भारत) के फायदे दिए जाने लगे हैं तो उसके अभिदानों की रकम, उस पर ब्याज सहित, अभिदायी भविष्यनिधि (भारत) में उसके जमा लेखे में अंतरित कर दी जाएगी ।

टिप्पणी :—इस नियम के उपबन्ध उस अभिदाता पर लागू नहीं होते जो संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से निवृत्त हो गया है और जिसे बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना किसी अन्य पद पर, जिसमें अभिदायी भविष्यनिधि के फायदे प्राप्त होने हैं, पुनः नियोजित किया गया है ।

29. व्यष्टिक मामलों में नियमों के उपबन्धों में छूट :

यदि स्थाई समिति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के प्रवर्तन से अभिदाता को भारी कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो वह, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करने के पश्चात्, ऐसे अभिदाता के मामले का निपटारा ऐसी रीति से करेगी जो उन्हें विधिपूर्ण और साम्यपूर्ण प्रतीत हो ।

प्रक्रिया नियम

30. अभिदान के भुगतान के समय लेखा संख्या का उद्धृत किया जाना:—

भारत में अभिदान का भुगतान करते समय, चाहे वह परिलब्धियों में से कटौती द्वारा हो या नकद हो, अभिदाता निधि की लेखा संख्या सूचित करेगा जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी । संख्या में होने वाला परिवर्तन लेख अधिकारी द्वारा उसी प्रकार अभिदाता को सूचित किय जाएगा ।

31. अभिदाता को वार्षिक लेखा विवरण दिया जाना:—

(1) लेखा अधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को उसका आरम्भिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा की गई या नामे डाली गई कुल रकम वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल रकम तथा उस तारीख को अंतिम अतिशेष उपदर्शित किया जाएगा । लेखा अधिकारी, लेखा विवरण के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या:—

(क) अभिदाता नियम 7 या इससे पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है ;

(ख) उन मामलों में जिनमें अभिदाता ने नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, क्या अभिदाता का कोई कुटुम्ब हो गया है ।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में अपना समाधान कर लेना चाहिए और त्रुटियां विवरण प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को सूचित कर दी जानी चाहिए ।

(3) यदि अभिदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो लेखा अधिकारी वर्ष में एक बार, किन्तु एक से अधिक बार नहीं अभिदाता को उस अन्तिम मास की समाप्ति पर जिसकी बाबत लेखा लिखा जा चुका है, निधि में उसके नाम जमा कुल रकम सूचित करेगा ।

32. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

33. निरसन :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम 1973 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं सिवाए उन बातों के संबंध में जो हो चुकी हैं या ऐसे निरसन से पूर्व होने से रह गई हैं ।

अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची [नियम-7(3)]

नामांकन प्ररूप

लेखा संख्या.....

मैं.....नीचे उल्लिखित निधि में मेरे नाम जमा रकम के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में, जब वह देय हो चुकी हो, किन्तु उसकी अदायगी न हुई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1993 के नियम-2 में यथा-परिभाषित मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं/मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य नहीं है/हैं, नामित करता हूं।

नामांकन प्ररूप

(नियम-2)

नामिती (नामितियों) का/के नाम और पूरा पता/पूरे पते	अभिदाता के साथ नातेदारी	नामिती (नामितियों) की आयु	प्रत्येक नामिती को देय भाग	ऐसी आकस्मिकताएं जिसके होने पर नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसा/ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हो/हों, के नाम पता/पते और नातेदारी जिसकी/जिनको नामिती का अधिकारी उस स्थिति में मिल जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	जैसा कि नियम-2 में दिया गया है उसके अनुसार यदि नामिती कुटुम्ब का सदस्य नहीं है तो कारण बताएं
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.....19.....को.....स्थान पर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम तथा पते

1. .....

2. .....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....

स्पष्ट अक्षरों में नाम.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा नामांकन, पदनाम.....

नामांकन प्राप्त होने की तारीख.....

कार्यालय प्रधान/लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

अभिदाता के लिए अनुदेश —

(क) अपना नाम लिखिए ।

(ख) निधि के नाम को उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए ।

(ग) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 मे दी गई कुटुम्ब की परिभाषा पुन नीचे दी जाती है, परिवार से अभिप्रेत है —

(1) पुरुष अभिदाता की दशा मे, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, सन्ताने, अवयस्क भाई, अविवाहित बहने, मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्ताने और जहा अभिदाता के माता-पिता जीवित नही है वहा उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, स्त्री जन्य विधि के अधीन उससे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नही रह गई है तो उसे, तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद मे लिखित रूप मे यह सूचित न करे कि उसे उस रूप मे जाना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उस मामलो मे, जिनका सम्बन्ध इन नियमो से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नही रह गई है ।

(2) स्त्री अभिदाता की दशा मे पति, माता-पिता, सन्ताने अवयस्क भाई, अविवाहित बहने, मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्ताने और जहा अभिदाता के माता-पिता जीवित न हो वहा उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही .

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करके अपने कुटुम्ब मे अपने पति को उपार्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति का तब से जब तक कि अभिदाता बाद मे ऐसी सूचना को लिखित रूप से रद्द न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलो मे, जिनका सम्बध इन नियमो से है, अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नही रह गया है ।

टिप्पणी — सन्तान से धर्मज सन्तान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहा अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक को मान्यताप्राप्त है, दत्तक सन्तान आती है ।

(घ) कालम-4—यदि केवल एक ही व्यक्तियों को, नामित किया जाता है तो उस नामिती के सामने "सम्पूर्ण" लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियो, को देय भाग इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उनके अन्तर्गत आ जाए ।

(ङ) कालम-5—इस कालम मे नामिती (नामितो) की मृत्यु को आकस्मिकताओ के रूप मे वर्णित नही किया जाएगा।

(च) कालम-6—अपना नाम न लिखे ।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान मे एक रेखा खींच दे जिससे आपके हस्ताक्षर करने के बाद उस स्थान मे कोई नाम न लिखा जा सके ।

टिप्पणी — जो लागू नही है, उसे काट (हटा) दें ।

अनुसूची-2

नियम-14

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि निकासी के लिए आवेदन पत्र

1 अभिदाता का नाम _____

2. लेखा सख्या _____

3 पदनाम _____

4. (1) वेतन रुपये _____

(2) मासिक अभिदान रुपये _____

5. निकासी के मामले मे _____

(1) जन्म तिथि _____

(2) नियुक्ति की तारीख _____

(3) सेवा निवृत्ति की तारीख _____

आवेदन की तारीख को अभिदाता के खाते मे कुल राशि निम्न प्रकार है :–

1. वर्ष 199 के लेखा विवरण के अनुसार रु. अतिशेष है ।
2. दिनांक ————————से———————————————तक——————————————रुपये मासिक अभिदान से कुल जमा राशि—————————————————————रुपये——————————————
3. अग्रिम राशि की वापसी ——————————————————
4. दिनांक :————से————————————से——————————————तक की अवधि के दौरान निकासित रुपये——————————————
5. के नाम बकाया निवल धन राशि रुपये——————————————————————————
6. अग्रिम की बकाया राशि, यदि कोई है, तथा ली गई राशि का प्रयोजन—————————————————— ली गई राशि रुपये——————————————————————आवेदन की तारीख को—————————— ———————शेष बकाया राशि रु.——————————————————
7. मांगे गए अग्रिम की राशि रुपये——————————————————————————————
8. क. किस प्रयोजन के लिए अग्रिम चाहिए———————————————————————————
   ख. नियम जिनके अन्तर्गत आवेदन अधिमान्य होता है ———————————————————————
   ग. यदि भवन निर्माण आदि के प्रयोजन के लिए अग्रिम मांगा जाता है तो निम्नलिखित सूचना दी जाए :–
   (1) प्लाट स्थल तथा उसकी पैमाइश——————————————————————————
   (2) क्या यह प्लाट पूर्ण स्वामित्व मे है अथवा पट्टे पर——————————————————————
   (3) निर्माण का नक्शा——————————————————————————————————
   (4) यदि फ्लैट अथवा प्लाट हाउस बिल्डिंग समिति से खरीदा जा रहा है तो उस समिति का नाम—————————— फ्लैट अथवा प्लाट तथा उसकी पैमाइश आदि ————————————————————————
   (5) निर्माण की लागत ——————————————————————————————————
   (6) यदि फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी हाउसिंग बोर्ड से खरीदा जाता है तो उसके स्थान, परिमाप आदि का उल्लेख किया जाए——————————————————————————————
   (घ) यदि अग्रिम संतान शिक्षण प्रयोजन के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए ——————
   (1) पुत्र/पुत्री का नाम ——————————————————————————————————
   (2) कक्षा तथा संस्थान/कालेज जहां अध्ययन कर रहा/रही है ————————————————————
   (3) क्या वह दिवाछात्र है अथवा छात्रावास में रहता है ——————————————————————
   (ङ) यदि अग्रिम परिवार के किसी रोगी के उपचार के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिए जाएं :—
   (1) रोगी का नाम तथा उसके साथ संबंध ——————————————————————————
   (2) अस्पताल/औषधालय/उस डाक्टर का नाम जहां रोगी का इलाज चल रहा है ——————————————
   (3) वह बहिरंग अथवा अंतरंग रोगी है ——————————————————————————
   (4) क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है अथवा नही ——————————————————————————

   टिप्पणी :– 8(ग) से 8(ङ) के अधीन मामले में किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नही होगी ।
9. समेकित अग्रिम की राशि (मद 6 और 7) तथा मासिक किस्तों की संख्या जिसमे समेकित अग्रिम राशि—————————— ———————————रुपये की——————————————————किस्तो मे लौटाने का प्रस्ताव है ।
10. अभिदाता की आर्थिक परिस्थितियों के पूर्ण ब्यौरे जिसमे अग्रिम के लिए आवेदन पत्र को उचित ठहराया जा सकता है ।

मैं प्रमाणित करता हू कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दिए गए ब्यौरे सही है तथा इसमें कोई भी तथ्य नही छिपाया गया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————————————

तारीख———————————— पदनाम ——————————————

अनुभाग ——————————————

सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश/टिप्पणी हस्ताक्षर ——————————————

पदनाम ——————————————

[सं. एस-65012/1/90-एस.एस.-1]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th October, 1994

G.S.R. 575.—The following draft of Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1993, which the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said revised rules will be taken into consideration after forty five days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said revised rules within the period so specified will be considered by the Central Government.

3. The objections and suggestions may be addressed to Shri J. P. Shukla, Under Secretary, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001.

DRAFT ESIC (GPF) RULES

Preliminary :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires—

(a) "Accounts Officer" means the Financial Commissioner of the Employees' State Insurance Corporation or such other officer as may be specified in this behalf ;

(b) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) ;

(c) "Corporation means" Employees' State Insurance Corporation ;

(d) "emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the fundamental Rules, and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant if admissible and any remuneration of the nature of pay received in respect of deputation ;

(e) "employee" means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Corporation, other than persons on deputation ;

(f) "Family means—

(i) In the case of a male subscriber the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relates, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded ;

(ii) In the case of a female subscriber, the husband parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent.

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Explanation.—In this clause, child means legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber ;

(g) 'Fund' means the employees State Insurance Corporation General Provident Fund,

(h) 'Leave' means any kind of leave recognised by the Employees' State Insurance Corporation (State and conditions of service) Regulations, 1959;

(i) 'Service' means service under the Corporation ;

(j) 'Year' means a financial year.

(2) Any other expressions used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1952) or Employees State Insurance Act, 1948 or in the Fundamental Rules, is used in the sense thereon defined but not defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) the Employees' State Insurance Corporation (Staff and conditions Employees' State Insurance Corporation (Staff and conditions of Service) Regulations, 1959 or the Fundamental Rules, as the case may be.

(3) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the General Provident Funds as heretofore existing or of constituting any new fund

3. Constitution of the Fund.—(1) The Fund shall be maintained in Rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited to a Fund called 'The Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund'. Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to the Deposit Account at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. Operation of Fund by the Accounts Officer —The fund shall be operated upon by the Accounts Officer who is hereby authorised to arrange for all payments required to be made under these rules.

5. Investments.—All monies belonging to the Fund shall be invested in the manner specified in the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, for investment of monies belonging to the Employees' State Insurance Fund.

6. Conditions of eligibility.—All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to CPF) and all permanent employees shall subscribe to the Fund,

Provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund while he retains his right to subscribe to such a Fund :

Provided further that such of the temporary employees who have completed continuous service of one year before the 31st March, 1960 shall not subscribe to the Fund from a date earlier than the 1st April, 1960.

Explanation —A temporary employee who complete one year of continuous service on any day of month shall subscribe to the fund with effect from the subsequent month.

Note 1 —Apprentices and Probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of this rule.

Note 2—A temporary employees who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

Note 3—Temporary employee (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of one year's service.

7. Nominations—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the even of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid :

Provided that where a subscriber is a minor he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority ;

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make nomination only in favour of a member or members of his family ;

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1) he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Forms set forth in the Schedule appended to these rules.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination made by him by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall alongwith such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provision of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predecessing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nominations;

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has any other members in his family, be such member or members of the family ;

Provided further that where the subscriber confers the right under this clause on more than one person, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee ;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein ;

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of his family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso thereto the subscriber shall send a notice in writing to the Accounts Officer cancelling the nomination, together with the fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Note.—In this rule, unless the context otherwise requires 'person' or 'persons' shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any Charitable or other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said Funds or Trust authorised to receive payments.

8. Subscriber's Account—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown—

(i) his subscriptions ;

(ii) interest, as provided by rule 13 or subscription ;

(iii) advances and withdrawals from the Fund.

9. Conditions and rates of subscriptions.—(1) A subscriber shall subscribe to the Fund every month except during the period when he is under suspension.

Provided that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrears subscription payable in respect of the said period.

Provided further that subscriber may at his option not subscribe during any period of leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary. equal to or less than half pay or half average pay.

Note 1 The holder of a seasonal post in an establishment need not subscribe to the Fund, during the period of his employment.

Note 2 A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave referred to in the second proviso to sub-rule (1) in the following manner—

(a) If he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave ;

(b) If he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the head of office before he proceeds on leave. On failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

Note.—The option of a subscriber once intimated under this sub-rule shall be final.

(3) A subscriber who has under rule 33 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber sholl not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

10. Rates of subscription.—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :—

(a) It shall be expressed in whole rupees.

(b) It may be any sum, so expressed which shall not be less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments.

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to the Employees' State Insurance Corporation Contributory Provident Fund at the higher rate of 8-1-|3%, it may be any sum so expressed shall not be less than 8-1/3% of his total emoluments and not more than his total emoluments.

(c) When an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6% or 8 1/3%,, as the case may be, the subscription shall be rounded to the nearest whole rupee and for this purpose, 50 paise and more shall be rounded to the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the emoluments of a subscriber shall be—

(a) in the case of subscriber who was in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date ;

Provided that :

(i) if the subscriber was on half pay leave or the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty ;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on half pay leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments to which he would have been entitled had he been on duty or on duty in India, as the case may be ;

(b) In the case of o subscribed who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely :—

(a) if he was on duty on the 31st March of the prereding year, by the deduction which he makes or cause to be made in this behalf from his pay bill for that month ;

(b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such half pay leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay-bill after his return to duty ;

(c) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be half pay leave and has elected to subscribe during such leave by the deduction which he makes or cause to be made in this behalf from his salary for the month;

(d) if he has entered into service for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from the salary bill for that month during which he joins the Fund ;

(e) if he was on deputation on the 31st March of the preceding year by the amount credited by him in the Funds of the Corporation on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be—

(a) reduced once at any time duding the course of the year ;

(b) enhanced twice during the course of the year ; or

(c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1).

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calender month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

11. Transfer on deputation to a post under the Government or any other organisation or deputation out of India—When subscriber is transferred or sent on deputation out of India, he shall remain subject to these rules in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

12. Realisation of subscriptions—(1) When the emoluments are drawn from the Employees' State Insurance Fund, recovery of subscriptions and the principal and interest of advances, if any, granted from the Fund shall be made direct from the emoluments.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer.

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the fund or is on default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 9, the total amount due to the Fund on account of arrears or subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 13, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deducation from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of Rule 14.

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

INTEREST

13. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Corporation shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Central Government in respect of the Central Provident Fund for the Central Government servants :

Provided that if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent. all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent, shall be allowed interest at 4 per cent.

Provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other provident fund of the Central Government and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in his fund under rule 26 shall also be allowed interest at 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund under a provision similar to that of the first proviso to this rule.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner :

(i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less sums, if any, withdrawn during the current year, interest for twelve months ;

(ii) on sums withdrawn during the current year—interest from the beginning of the current year upto the

last day of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) on all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year interest from the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise and more counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) In this rule, the date of deposit shall, in the case of recovery from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month the first day of the next succeeding month:

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn.

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule (2) of rule 12, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by an Accounts Officer before the fifteenth day of that month;

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under rules 20, 21 or 22 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated or the date of posting the cheque, as the case may be:

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he inform the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amount which under sub-rule (3) of rule 12, rule 20, or rule 21 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this rule and so far as may be in the manner described in this rule.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default be ordered to be recovered by deduction one lump sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-rule the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2-1/2 per cent over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-rule (1) The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Corporation account under a distinct sub-head 'Interest on overdrawals from Provident Fund' under the Head "049-Interest Receipts-C other interest receipts of Corporation-other Receipts".

14. Advances from the Fund.—(1) The Director General or any other Officer authorised by him in this behalf, may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely:—

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him: in the following cases, namely:—

(i) for the education outside India in respect of an academic, a technical, a professional or vocational course beyond the high school stage; and

(ii) for any medical engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is of not less than three years duration;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscribers' status which, by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source.

(e) to meet the cost of his defence where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society.

(2) The Director General may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, expect for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Clause (ii) of sub-rule (3) of rule 25.

Note 1.—For the purpose of this rule pay includes dearness pay, where admissible.

Note 2.—The appropriate sanctioning authority for the purpose of this rule is specified in the second schedule-II appended to these rules.

Note 3.—A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub-rule (1) of rule 14.

15. Recovery of Advances.—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and in any case not more than twenty four. In special cases where amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (2) of rule 14 the sanctioning authority may fix such number of instalments exceeding twenty four but not exceeding thirty six. A subscriber may, at his option repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be fixed in whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary, to admit the fixation of such instalments.

(2) Recovery of advances shall be made in the manner specified in rule 12 for the realisation of subscription, and shall commence with the issue of pay or the month allowing the one in which the advance was drawn. Recovery shall commence with the issue of pay or the month allowhe is in receipt of subsistance grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry and leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay as the case may be. The recovery may on the subscriber's written request, be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If a advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whale or balance of amount withdrawn shall be forthwith repaid by the subscriber to the Fund. Or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the Accounts Officer.

Provided that before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain the sanctioning authority in writing within 15 days of the receipt of the communication why the repayment shall not enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days, it shall be referred to the Director General for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in the sub-rule.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited to the subscriber's account in the Fund.

16. Wrongful use of advance—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt hat money drawn as an advance from the fund under rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within 15 days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with thee explanation furnished by the subscriber within the said period of 15 days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of he subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount in repaid by him.

Note—The term "emoluments" in this rule shall not include subsistence grant.

17. Withdrawal from the Fund—(1) Subject to the conditions specified therein withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (2) of rule 14, at any time, after the completion of twenty years of service (including broken period of service, if any), of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the susbcriber in the ollowing cases namely ::—:: :: : : :

(i) for the education outside India for academic, technical professional or a vocational course beyond the high school stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school namely .—

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal|marriage of the subscriber or his sons or dauters and of any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(2) After the completion of (ten years) of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation whichever is earlier a subscriber will be allowed withdrawals from the amount standing to his credi in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(i) building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence including the cost of the site;

(ii) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence;

(iii) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken fod this purpose;

(iv) reconstructing or making additions or alerations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(v) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty;

(vi) constructing a house on a site purchased under clause (iii),

(ii) within six months before the date of the subscriber's retirement for the amount standing to his credit to the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

(viii) once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paird for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Corporation employees on self financing and contributory basis.

Note—1.—A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (i), (iii) (iv), (vi) sub-rule (2) for the purpose specified therein and also for the purpoes of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso sub-rule (1) of rule 18.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eeligible for the grant of a final withdrawal under clause (i). (iii) and (vi) of sub-rule (2) for purchase of a house-site or for construction of another house or for aiquiring a readybilt flat at the place of his duty.

Note 2.—Withdrawal under clauses (i), (iv), (v) or (vi) of sub-rule (2) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local Municipal Body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3.—The amount of withdrawal sanctioned under clause (ii) of sub-rule (2) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (i) reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 4.—Withdrawal under clauses (i) or (iv) of sub-rule (2) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5.—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or that is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clause (i) or (vi) of sub-rule (2) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Note 6.—A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 14 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub rule (3) of rule 25.

18. Conditions for withdrawal—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 17 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4th of the balance at his credit in the Fund having regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to his credit in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-rule (2) of rule 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under rule 2(a) and 3(b) of the Scheme of the Ministry of works and Housing for the grant of advances for house building purposes;

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advances or house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government sources, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and 3(b) of the aforesaid Scheme.

Note 1.—A withdrawal sanctioned to a subscriber under the clause (i) of sub-rule (2) of rule 17 may be drawn in instalments the number which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

Note 2.—In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a house Building Co-operative Society he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for rule 16.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from Fund under rule 17 shall satisfy the sanctioning authority within such reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Director General.

Provided that, before repayment if a withdrawal is enforced under this sub-rule the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within 15 days of the receipt of the communication why the repayment shall not enforced and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days the sanctioning authority shall enforced the repayment in the manner prescribed in this sub-rule.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under clauses (i), (ii) or (iii) of sub-rule (2) of Rule 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Director General), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Director General:

Provided that such permission shall not be necessary for:—

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Director General, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity or making a representation in the matter cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note A.—A subscriber who has taken from ESI Corporation in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Corporation shall be required to furnish the declaration to the following effect namely:—

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Corporation."

19. Conversion of an advance into a withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an

advance under rule 14 for any of the purposes specified there in may convert, of his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority. the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 17 and 18

Note 1.—The Head of office in case of non-gazetted subscribers and the Treasury Officer concerned in the case of gazetted subscribers may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer that authority shall endorse a copy of the letter forwarding the subscriber's intimation to the Treasury Officer from where he draws his pay in order to permit stoppage of further recoveries.

Note 2.—For the purpose of sub-rule (1) of rule 18, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

20. Final withdrawal of accumulations in the Fund.—When a subscriber quits the service of the Corporation the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided that subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service, shall if required to do so by the Director General, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 13 in the manner described in the proviso to rule 21. The amount so repaid shall be credited to his amount in the Fund.

Explanation I.—A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, with or without a break in service shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post, in such case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred :—

(a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that Fund, if the new post is in another department of the Central Government, or

(b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions and interest.

Note.—Transfer shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Central Government. In cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation II.—When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has has retired from service and is subsequently reemployed or is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body to his new Provident Fund Account under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Central Government. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government servant on transfer from one post to another :

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agreed to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. Retirement of Subscriber—When a subscriber—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department on leave preparatory to retirement combined with vacation, or

(b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service ;

the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber :

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall if required to do so by the Director General, repay the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 13 in cash or securities by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub rule (2) of rule 14.

22. Procedure on death of subscriber.—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made—(i) When the subscriber leaves a family :—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members or his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relates, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family becomes payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to :—

(1) sons who have attained majority ;

(2) sons of a deceased son who have attained majority ;

(3) married daughters whose husbands are alive ;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive ;

(i) If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretoforce in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Deposit Linked Insurance Scheme.—On the death of a subscriber on or before 30th September, 1991 and to whom rule 24 does not apply the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of—

(i) Rs. 4000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1300 or more*;

(ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post of the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1,300*;

(iii) Rs. 1,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291 or more but less than Rs. 900*;

(iv) Rs. 1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291*.

(*in the pre revised scale).

(b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000;

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

Note 1.—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above :—

(a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 13; and

(b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.—Payments under this scheme should be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme

Note 4.—This scheme also applies to those subscribers to the Fund who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt, in terms of option given to them, to subscribe to this Fund in accordance with these rules.

Note 5.—(a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefits of the Fund under rule 26 or 27, but dies before completion of three years service, or as the case may be, five years service from the date of his admission to the fund, that period of his service under the previous employer in respect where of the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment of re-employment, as the case may be, only will count for purpose of this rule.

(c) This scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note 6.—The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

24. Deposit Linked Insurance Revised Scheme.—On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have fallen below the limits of—

(i) Rs. 12000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of maximum of the pay scale of which is Rs. 4,000 or more.

(ii) Rs. 7,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2,900 or more but less than Rs. 4,000;

(iii) Rs. 4,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,151 or more but less than Rs. 2,900;

(iv) Rs. 3,000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,151;

(b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 30,000.

(c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his/her death.

Note 1.—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above :—

(a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of Rule 13; and,

(b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.—Payment under this scheme will be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note 4.—The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these rules.

Note 5.—In case of a Government servant who has been admitted to the benefits of the fund under rule 26 or 27 but died before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been recovered, shall count for the purpose of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re employed pensioners, service rendered from the date of such appointment on re-employment, as the case may be only will count for the purposes of this rule.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note 6.—The Budget Estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

25. Manner of payment of amount in the Fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund become payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount of policy is to be paid assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic;

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a magistrate to be lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus if any, or such part thereof as the thinks fit shall be paid for the maintenance of such member of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payment of the amount to be withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment be a subscriber, namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of office or department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made : —

(a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Account Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(b) For the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Head of Office Department shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by subscriber after the period covered by the last statement or the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

(iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

(v) After forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance|withdrawal may be sanctionad but the amount of advance|withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as formal sanction of sanctioning authority is received by him.

NOTE.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rules 20, 21 and 22 the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in the sub-rule (3).

26. Procedure on transfer of a Government servant from one Department to another.—(a) If a Government servant who is a subscriber to any other non-contributory Provident Fund of the Central Government or of a State Government is permanently transferred to pensionable service in a Department of the Central Government in which he is governed by these rules the amount of subscriptions together with interest thereon, standing to his credit in such other fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the Fund :

Provided that where a subscriber was subscribing to a non-contributory Provident Fund of a State Government the consent of that Government shall be obtained.

(b) If a Govt servant who is a subscriber to the State Railways Provident Fund or any other contributory Provident Fund of the Central Government or a State Contributory Provident Fund is permanently transferred to pensionable service in a Department of Central Government in which he is governed by these rules and unless such a subscriber elects to continue to be governed by the rules of such Fund, when the rules option is given :—

(i) the amount of subscriptions with interest thereon, standing to his credit in such Contributory Provident Fund on the date of transfer shall with the consent of the other Government, if any be transferred to his credit in the Fund;

(ii) the amount of Government contributions with interest thereon, standing to his credit in such contributory Provident Fund shall, with the consent of the other Government, if any, be credited to the Central Revenue (Civil); and

(iii) he shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer, the extent permissible under the relevant pension Rules.

NOTE 1.—The provisions of this rule do not apply to a subscriber who has retired from service, or to a

subscriber who was holding the former appointment on contract.

NOTE 2.—The provisions of this rule shall, however apply to persons who are appointed without break whether temporarily or permanently to a post carrying the benefits of these rules after resignation or retirement from service under another Department of Central Government or under the State Government.

27. Procedure on transfer.—On transfer to Government service from the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act 1860. If a Government servant admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any provident Fund of a body corporate owned or controlled by Government or an autonomus organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with the interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of that body.

28. Transfer of amount to the Contributory Provident Fund (India).—If, a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund (India) the amount of his subscriptions, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his account in the Contributory Provident Fund (India).

NOTE .—The provision of this rule do not apply to a sub-

cases.—When the Standing Committee is satisfied that the retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service in another post carrying contributory Provident Fund benefits.

29. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases.—When the Standing Committee is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, it may notwithstanding anything contained in these rules after recording its reasons for so doing with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

PROCEDURE RULES

30. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription.—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

31. Annual statement of account to be supplied to subscriber.—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account on the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber :—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under rule 7; or under the corresponding rule heretofore in force.

(b) has acquired a family, in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-rule (1) of Rule 7.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness to the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the Statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

32. Interpretation.—If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to the central Government in the Ministry of Labour whose decision thereon shall be final.

33. Repeal.—The Employees' State Insurance Corporation (General Provident Funds) Rules 1973 are hereby repealed except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

SCHEDULES

First Schedule [Rule 7(3)]

FORM OF NOMINATION

Account No..... .....

I, ... hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s) of my family as defined in Rule 2 of the ESIC (GPF) Rules, 1993 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid.

FORM OF NOMINATION

Rule 2

Name and full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2 indicate the reasons
1	2	3	4	5	6	7

Dated this.. day of 19...................... at..................

Signature of subscriber..................

Name in block letters..................

Two witnesses to signature
Name & Address
1...
2...

Signature
1...................................
2...................................

(Reverse of the Form)

SPACE FOR USE BY THE HEAD OF OFFICE/PAY &
ACCOUNTS OFFICE

Nomination by Shri/Smt./Kumari.................................... Designation.........................
Date of receipt of nomination...................................

Signature of Head of Office/Accounts Officer

Designation...........................
Date................................

INSTRUCTIONS FOR THE SUBSCRIBER—

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "family" as given in the General Provident Fund (CS) Rules, 1960, is reproduced below, Family means :—

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscribre's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber by notice in Writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE :— Child means legitimate child and included an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4 If only one person is nominated the words" in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5. Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6. Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

NOTE :— Deleted.

SCHEDULE—II

(Rule -14))

APPLICATION FOR ADVANCE/WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND.

1. Name of the subscriber———————————————————————————

2. Account Number———

3. Designation———

4. (1) Pay Rs.———

(2) Monthly subscription Rs.———

5. In case of withdrawal

(i) Date of Birth ———

(ii) Date of appointment———

(iii) Date of superannuation———

Balance at credit of the subscriber on the date of application as below :—

(i) Closing balance as per statement for the year 19——— Rs.———

(ii) Credit from———to———

on account of monthly subscription Rs.———

(iii) Refunds Rs.———

(iv) Withdrawals during the period from———

to——— Rs.———

(v) Net balance at credit Rs.———

6. Amount of advance outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them.

Amount of advance taken Rs.———

Balance outstanding as on date Rs.———

7. Amount of advance required Rs.———

8. (a) Purpose for which the advance is required———

(b) Rules under which the request is covered.———

(c) If advance is sought for House Building etc. following information may be given : –

(1) Location and measurement of the plot———

(2) Whether plot is freehold or on lease———

(3) Plan for construction———

(4) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society, the location and measurements etc.———

(5) Cost of construction.———

(6) If the purchase of flat is from DDA or any Housing Board etc. the location, dimension, etc. may be given.———

(d) If advance is required for education of children, following details may be given : –

(1) Name of the son/daughter———

(2) Class and Institution/College where studying———

(3) Whether a day-scholar or a hostler.———

(e) If advance is required for treatment of ailing family members, following details may be given :—

(1) Name of the patient and relationship.———

(2) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment———

(3) Whether outdoor/indoor patient———

(4) Whether reimbursement available or not———

NOTE :—In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate of documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 and 7) and number of monthly insalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid Rs.——— in instalments.

10. Full particulars of the pecuniar circumstances of the subscrber, justifying the application for the advance.

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Signature of Applicant

Name———

Designation———

Dated :—

Section/Branch———

Recommendation/Remarks of the Competent Authority———

Signature———

Dt.———

Designation———

[No. S-65012/1/90-SS. I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 576.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (तृतीय संशोधन) स्कीम 1994 है ।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1994 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. कर्मचारी निक्षेप संहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 में, पैरा 7 के परन्तुक में "तीन हजार पांच सौ रुपए" जहां जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. एस.-65013/1/94-एस. एस.II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पणी:—मुख्य स्कीम भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3(i), दिनांक 28-7-1976 को सा. का. नि. 488(ई) के रूप में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था:—

1. जी. एस. आर 1788, दिनांक 7-12-1976
2. जी. एस. आर. 648, दिनांक 4-5-1977
3. जी. एस. आर. 329, दिनांक 20-2-1978
4. जी. एस आर. 969, दिनांक 14-7-1978
5. जी. एस. आर. 67 दिनांक 23-3-1978
6. जी. एस. आर. 1013, दिनांक 12-9-1980
7. जी. एस. आर. 548(ई) दिनांक 3-10-1981
8. जी. एस. आर. 828, दिनांक 14-8-1985
9. जी. एस. आर. 874, दिनांक 25-9-1986
10. जी. एस. आर. 228, दिनांक 2-3-1989
11. जी. एस. आर. 354, दिनांक 22-5-1990
12. जी. एस. आर. 30, दिनांक 12-1-1991
13. जी. एस. आर. 420, दिनांक 31-8-1992
14. जी. एस. आर. 176 दिनांक 26-3-1994
15. जी एस. आर. 294 दिनांक 24-5-1994

New Delhi, the 1st November, 1994

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by section 6C read with Sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Third Amendment) Scheme, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from the 1st October 1994.

2. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, in the proviso to paragraph 7, for the words, "three thousand and five hundred rupees" wherever they occur, the words, "five thousand rupees" shall be substituted.

[No. S-65013/1/94-S.S.II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

FOOT NOTE :—The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 28th July, 1976, as GSR 488 (E) and it was subsequently amended by the following notifications : -

1. GSR 1788, dated 7-12-1976
2. GSR 648 dated 4-5-1977
3. GSR 329, dated 20-2-1978
4. GSR 969, dated 14-7-1978
5. GSR 67, dated 23-12-1978
6. GSR 1013, dated 12-9-1980
7. GSR 548 (E) dated 3-10-1981
8. GSR 828, dated 14-8-1985
9. GSR 873, dated 25-9-1986
10. GSR 228, dated 2-3-1989
11. GSR 354, dated 22-5-1990
12. GSR 30, dated 12-1-1991
13. GSR 420, dated 31-8-1992
14. GSR 176, dated 26-3-1994
15. GSR 294, dated 24-5-1994

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1994

सा. का. नि. 577.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है है अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1994 है।

(2) यह 1 अक्टूबर, 1994 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में, पैरा 9 में, उप-पैरा (3) के परंतुक में, "तीन हजार पांच सौ रुपए", जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एस.-65012/2/94-एस. एस.-II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य स्कीम भारत के राजपत्र के भाग—II, खण्ड 3 (i) दिनांक 4 मार्च, 1971 को सा. का. नि. 315 के रूप में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :—

1 जी एस आर 892, दिनांक 1-C-1971

2. जी एस आर 1156, दिनाक 8-7-1971

3. जी एस आर 1252, दिनांक 1-9-1971

4. जी एस आर 1971, दिनांक 24-12-1971

5 जी एस आर 978, दिनाक 17-7-1972

6. जी एस आर 1188, दिनांक 8-9-1972

7. जी एस आर 298, दिनांक 14-3-1973

8. जी एस आर 186 (ई) , दिनांक 31-3-1973

9 जी एस आर 940, दिनांक 23-8-1973

10. जी एस आर 2321, दिनांक 13-8-1975

11. जी एस आर 427, दिनांक 3-3-1976

12. जी एस आर 25, दिनांक 26-12-1979

13. जी एस आर 129, दिनांक 13-1-1981

14. जी एस आर 701, दिनांक 8 7-1981

15. जी एस आर 360 (ई), दिनाक 28-4-1982

16. जी एस आर 477, दिनांक 10-5-1982

17. जी एस आर 530, दिनांक 20 5-1982

18. जी एस आर 87 (ई), दिनांक 16-2-1983

19. जी एस आर 546, दिनांक 19-7-1983

20. जी एस आर 629, दिनांक 4-8-1983

21. जी एस आर 19, दिनांक 26-12-1984

22. जी एस आर 385, दिनांक 1-5-1987

23. जी एस आर 500, दिनांक 3-6-1988

24. जी एस आर 227, दिनांक 2-3-1989

25. जी एस आर 608, दिनांक 27-7-1989

26 जी एस आर 536, दिनांक 30-7-1990

27. जी एस आर 29, दिनांक 12 1 1991

28 जी एस आर 523, दिनांक 16-8-1991

29 जी एस आर 419, दिनांक 31-8-1992

30. जी एस आर 535, दिनांक 29-10-1992

31. जी एस आर 13, दिनांक 21-12-1992

32. जी एस आर 293, दिनांक 24-5-1994

New Delhi, the 1st November, 1994

G.S.R. 577.—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Family Pension Scheme, 1971, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees Family Pension Second Amendment) Scheme, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from the 1st October, 1994.

2. In the Employees' Family Pension Scheme, 1971, in paragraph 9, in the proviso to sub-paragraph (3), for the words "three thousand and five hundred rupees" wherever they occur, the words, "five thousand rupees" shall be substituted.

[No. S-65012/2/94-SS. II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

FOOT NOTE : The principal scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 4th March, 1971 as GSR 315 and it was subsequently amended by the following notifications :—

1. GSR 892, dated 1-C-1971.
2. GSR 1156, dated 8-7-1971.
3. GSR 1252, dated 1-9-1971.
4. GSR 1972, dated 24-12-1971.
5. GSR 978, dated 17-7-1972
6. GSR 1188, dated 8-9-1972.
7. GSR 298, dated 14-3-1973.
8. GSR 186 (F) dated 31-3-1973.
9. GSR 940, dated 23-8-1973.
10. GSR 2321, dated 13-8-1975.
11. GSR 427 dated 3-8-1976.
12. GSR 25, dated 26-12-1979.
13. GSR 129, dated 13-1-1981.
14. GSR 701, dated 8-7-1981.
15. GSR 360 (E), dated 28-4-1982.
16. GSR 477, dated 10-5-1982.
17. GSR 530, dated 20-5-1982.
18. GSR 87 (E), dated 16 2-1983.
19. GSR 546 dated 19-7-1983
20. GSR 629, dated 4-8-1983.
21. GSR 19, dated 26-12-1984.
22. GSR 385 dated 1-5-1987.
23. GSR 500, dated 3-6-1988.
24. GSR 227, dated 2-3-1989.
25. GSR 608, dated 27 7-1989.
26. GSR 536, dated 30-7-1990.
27. GSR 29, dated 12-1-1991.
28. GSR 523, dated 16-8-1991.
29. GSR 419, dated 31-8-1992.
30. GSR 535, dated 29-10-1992
31. GSR 13, dated 21-12-1992.
32. GSR 293, dated 24 5-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994